भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

डीबीआर.सं.डीईए निधि कक्ष 3044/30.01.002/2017-18 27 सितंबर 2017

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और एलएबी/
शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय/महोदया,

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए - परिचालन दिशानिर्देश

कृपया हमारे दिनांक 27 मई 2014 के परिपत्र डीबीओडी.सं.डीईए निधि कक्ष.बीसी.114 130.01.002/2013-14 देखें, जिसमें बैंकों द्वारा निधि जमा करने तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली परिचालन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद दिनांक 18 जून 2015 के परिपत्र डीबीआर.सं.डीईए निधि कक्ष.बीसी.105/30.01.002/2014-15 माध्यम से हमने फॉर्म I और फॉर्म II को मिलाकर 'फॉर्म I और II' के रूप में करने के बारे में सूचित किया गया था।

2. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (जिसे आगे निधि कहा जाएगा) के परिचालन को और अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ई-कुबेर पोर्टल के अंतर्गत "डीईए फंड सर्विसेज" नाम से एक अलग समर्पित मॉड्यूल विकसित किया गया है। उक्त मॉड्यूल में, अन्य बातों के साथ-साथ, निधि के संबंध में धनराशि अंतरित और दावा प्रतिपूर्ति प्रक्रियाओं पर उचित प्रणाली आधारित सत्यापन और नियंत्रण की परिकल्पना की गई है।

3. संशोधित मॉड्यूल के अंतर्गत धनराशि अंतरित करने तथा प्रतिपूर्ति का दावा करने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं अनुबंध 1 में विस्तृत रूप से दी गई हैं।

4. इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया उपयोगकर्ता मैनुअल, जिसमें ई-कुबेर पोर्टल के अंतर्गत डीईए निधि मॉड्यूल के उपयोग पर बैंकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया शामिल है, जिसे अनुबंध 2 में दिया गया है।

5. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निधि में अंतरित की गई राशि और उसके बाद दावा की गई राशि की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करें। निधियों के अंतरण और प्रतिदाय (रिफंड) दावों को दाखिल करने में लगातार त्रुटियों को गंभीरता से लिया जाएगा और आरबीआई द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

6. इस विषय पर आरबीआई के दिनांक 27 मई 2014 का परिपत्र डीबीओडी. सं. डीईए निधि कक्ष. बीसी. 114/ 30. 01. 002/2013-14 और दिनांक 18 जून 2015 का परिपत्र डीबीआर. सं. डीईए निधि कक्ष. बीसी. 105/ 30. 01. 002 /2014-15 द्वारा जारी सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न:- यथोक्त

अनुबंध 1

<u>मुख्य विशेषताएं</u>

1. फंड जमा करने और फॉर्म I[1] को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया

1.1 नई प्रणाली का उपयोग करने के लिए, सभी सदस्य बैंकों (प्रायोजक बैंकों) को पहले ई-कुबेर पोर्टल पर डीईए फंड मॉड्यूल के तहत स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। इस हेतु प्रायोजक बैंकों को हमारे दिनांक 11 मई, 2017 के पत्र डीबीआर.डीईए निधि कक्ष.13322/30.01.002/2016-17 के द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें दो ई-मेल आईडी अग्रेषित करने के लिए सूचित किया गया था। जिन प्रायोजक बैंकों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें तुरंत ऐसा करने के लिए सूचित किया जाता है। आरबीआई से कोई भी संचार केवल उन ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

1.2 जिन बैंकों के पास ई-कुबेर पोर्टल (गैर-सदस्य बैंक) का एक्सेस नहीं है, उन्हें भी हमारे दिनांक 11 मई, 2017 के पत्र डीबीआर.डीईए निधि कक्ष सं. 13323/30.01.002/2016-17 के माध्यम से अलग से सूचित किया गया है कि वे अपने संबंधित प्रायोजक बैंकों को दो ई-मेल आईडी अग्रेषित करें ताकि वे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकें। उन गैर-सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अपने प्रायोजक बैंकों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे तुरंत इसे पूरा करें। आरबीआई से कोई भी संपर्क केवल उन ई-मेल आईडी पर किया जाएगा।

1.3 अदावाकृत जमाराशियों को फंड में अंतरण करने के लिए समय-सीमा पहले की तरह प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवसों के दौरान खुली रहेगी। सदस्य/गैर सदस्य बैंक द्वारा प्रति माह केवल एक जमाराशि करने की अनुमति दी जाएगी।

1.4 गैर-सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रायोजक बैंक द्वारा आरबीआई को ऐसी जमाराशियों के हस्तांतरण की नियत तारीख से पर्याप्त अवधि से पहले अपने प्रायोजक बैंकों (सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से) को अदावी जमाराशियों को हस्तांतरित करें। प्रायोजक बैंकों द्वारा निधि में अंतरित राशि की प्राप्ति पर, संबंधित बैंकों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर स्वतः सृजित पावती रसीद भेजी जाएगी।

---

[1] *फॉर्म I और II' को संशोधित कर नए 'फॉर्म I' में शामिल किया गया है। फॉर्म I का संशोधित प्रारूप अनुबंध 3 में संलग्न है।*

1.5 हर महीने के अंत में, सिस्टम द्वारा स्वतः **फॉर्म I** सृजित किया जाएगा और इसे बैंकों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजेगा, इसमें वे बैंक भी शामिल हैं जिन्होंने कोई जमाराशि स्थानांतरित नहीं की है। बैंक (या अपने सदस्य बैंकों की ओर से प्रायोजक बैंक), फॉर्म I की यथार्थता की पुष्टि करने के बाद, पोर्टल के माध्यम से इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

1.6 स्वतः सृजित फॉर्म I की पुष्टि केवल तभी की जाएगी जब बैंक पोर्टल स्क्रीन पर "मैं सहमत हूं" और "फॉर्म को समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित किया गया है" चेक-बॉक्स पर टिक करके फॉर्म I में शेष राशि से सहमत होता है। यदि बैंक सहमत नहीं होता है तो उसे समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित सुधार फॉर्म भरना चाहिए और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक को मूल रूप में, डाक द्वारा भेजना चाहिए।

1.7 बैंक को किए गए अंतरणों के ब्यौरों के संबंध में फार्म I में उनके द्वारा पाई गई किसी भी विसंगति को रिज़र्व बैंक के ध्यान में तुरंत लाना चाहिए, इसमें पुष्टिकरण संदेश प्राप्त न होना भी शामिल है।

2. दावा वापसी की प्रक्रिया - फॉर्म II

2.1 बैंकों को **फॉर्म II**[2] भरकर ई-कुबेर पोर्टल पर आरबीआई को धन वापसी (रिफंड) दावे प्रस्तुत करने चाहिए।

2.2 दावे प्रस्तुत करने उपरांत, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और बैंक के संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित स्वचालित रूप से तैयार फॉर्म II का प्रिंटआउट संबंधित बैंक द्वारा मूल रूप में आरबीआई को डाक से भेजा जाएगा।

2.3 आरबीआई द्वारा रिफंड दावे की जांच की जाएगी और यदि सही पाए जाते हैं, तो दावा की गई राशि सदस्य बैंक के आरबीआई में स्थित खाते में जमा कर दी जाएगी। दावा प्राधिकृत करने/अस्वीकृति रसीद संबंधित बैंक को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।

2.4 गैर-सदस्य बैंक अपने दावे का विवरण अपने प्रायोजक बैंकों को प्रस्तुत करेंगे, जो इसके बदले में संबंधित गैर-सदस्य बैंकों की ओर से ई-कुबेर पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करेंगे।

---

[2] *चूंकि फॉर्म III और फॉर्म IV के बीच काफी अधिव्यापन (ओवरलैप) था, इसलिए दोनों को एक नए फॉर्म, "फॉर्म II" में समाहित किया गया है। फॉर्म II का संशोधित प्रारूप अनुलग्नक 4 में संलग्न किया गया है।*

2.5 बैंकों के रिफंड दावों का निपटान आरबीआई द्वारा निदेशक मंडल के संकल्प की सत्य प्रति (केवल हिंदी या अंग्रेजी में) प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा, जिसमें दो अधिकारियों को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा जो कि निर्धारित प्रारूप में नमूना हस्ताक्षर कार्ड और संबंधित बैंक के सभी पिछले फॉर्म I के आधार पर संयुक्त रूप से खाते का संचालन करेंगे।

2.6 बैंक द्वारा पोर्टल के माध्यम से एक महीने में केवल एक रिफंड दावा दर्ज किया जाएगा। बैंक अगले महीने के रिफंड दावे में बकाया रिफंड दावों को शामिल नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, किसी भी परिस्थिति में, बैंक द्वारा भुगतान किए गए अदा न किए गए जमाराशि के लिए रिफंड दावा एक से अधिक रिफंड दावे में नहीं दर्शाया जाएगा।

2.7 बैंकों द्वारा प्रेषित किए गए रिफंड दावों को रिजर्व बैंक द्वारा संपूर्ण रूप से बैंकों द्वारा फॉर्म II में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संसाधित किया जाएगा। इसलिए, सभी मामलों में फंड से सही रिफंड दावे करने का दायित्व पूरी तरह से संबंधित बैंकों पर होगा। यदि किसी बैंक द्वारा किए गए किसी भी रिफंड दावे में आरबीआई या लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी समय कोई विसंगति पायी जाती है, तो संबंधित बैंक के विरुद्ध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.8 यद्यपि बैंकों को फॉर्म II में रिफंड दावों के मामले में ग्राहक-वार विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी, बैंकों को, तथापि, उनके संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित दावों के ग्राहक-वार विवरण अनुरक्षित रखना होगा, जिसे रिजर्व बैंक बाद के चरण में / पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के दौरान मांग सकता है।

3. समाधान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना - फॉर्म III

3.1 बैंकों को अदावाकृत जमाराशियों के हस्तांतरण और वापसी दावों में शामिल नहीं थे ऐसे दो वरिष्ठ अधिकारियों और बैंक के संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित समाधान प्रमाणपत्र फॉर्म III (अनुलग्नक 5) भी प्रस्तुत करना होगा, जो कि बैंकों के शेष राशि के समझौते को प्रमाणित करता है तथा यह प्रमाणपत्र मूल रूप में क्रमशः 31 जुलाई और 31 जनवरी तक आरबीआई को प्रेषित किए जाने चाहिए। जिन बैंकों के समाधान प्रमाणपत्र नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे, उनके दावों का आगे का निपटान समाधान प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक रोक दिया जाएगा।

3.2 बैंकों द्वारा अदावाकृत जमाराशियों की स्थिति दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी (**फॉर्म V**) प्रस्तुत करना बंद कर दिया गया है।

4. संशोधित विवरण बैंकों द्वारा इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पहले निर्धारित सभी विवरण और इस पत्र के जारी होने से पहले की अवधि के लागू सभी विवरण रिजर्व बैंक को प्रेषित किए गए हैं।

अनुबंध 2

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (डीईए)
विनियमन विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई

<u>पोर्टल द्वारा डीईए निधि फ्लो- बैंक के लिए यूजर गाइड</u>

1. **गैर सदस्य बैंक पंजीकरण** 2
   1.1. ईमेल अलर्ट - गैर सदस्य बैंक पंजीकरण... 6
2. **डीईए निधि जमा** 7
   2.1. माई डाउनलोडस - जमा रसीद 11
   2.2. जमा रसीद – ई-मेल नोटीफिकेशन 13
3. **फार्म I का जनरेशन और पुष्टीकरण** 14
   3.1. फार्म I पोर्टल से जनरेशन 14
   3.2. डीईए निधि फार्म I पुष्टीकरण..15
4. **डीईए निधि जमा दावा**...18
   4.1. डीईए निधि दावा पोर्टल द्वारा...18
   4.2. माई डाउनलोडस – फार्म II का जनरेशन 20
   4.3. फार्म II - ई-मेल नोटीफिकेशन 22
   4.4. दावा प्राधिकरण /अस्वीकृत रसीद 23
   4.5. दावा प्राधिकरण रसीद– ई-मेल नोटीफिकेशन 23
   4.6. डीईए निधि दावे की स्थिति हेतु पूछताछ 24

1. गैर सदस्य बैंक पंजीकरण

- सदस्य बैंक (अर्थात् भारिबैं में चालू खाता रखने वाले बैंक) "मेकर" द्वारा ई-कुबेर पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे।
- "DEA Fund Service" पर जाएं और फिर "DEA Fund Non-Member Bank Registration" पर क्लिक करें।

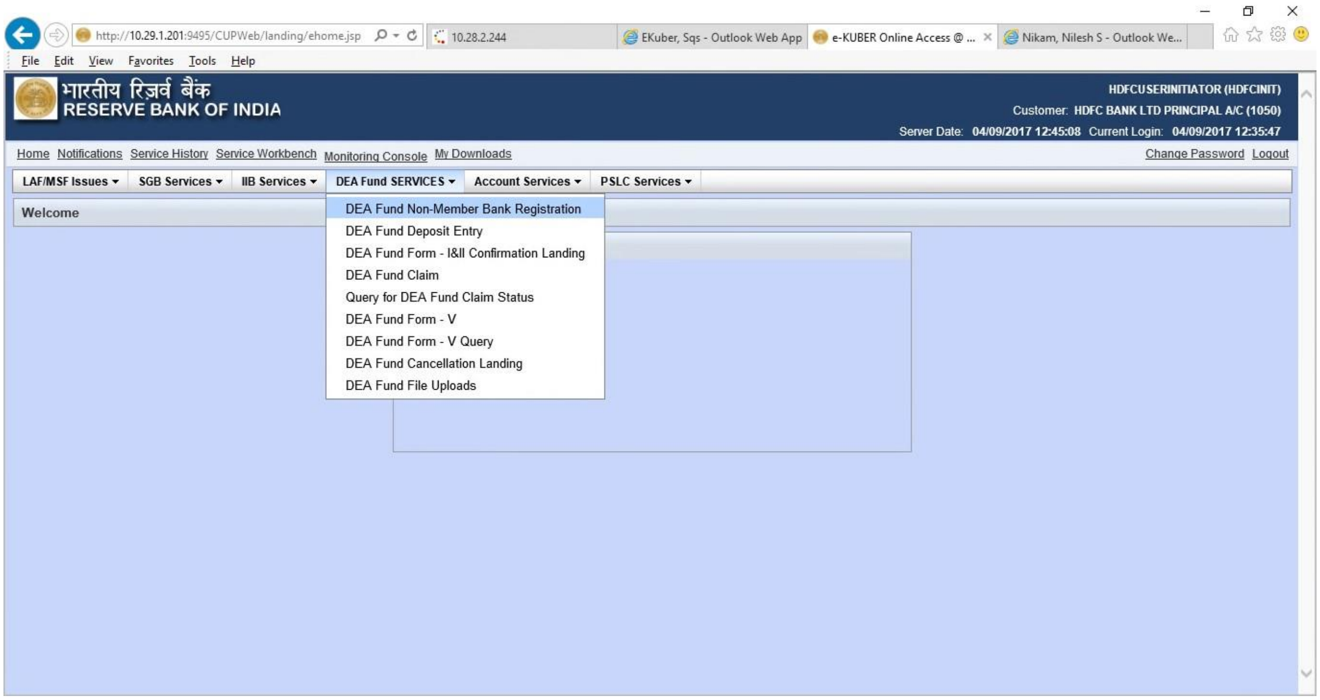

- निम्न विंडो दिखाई देगी

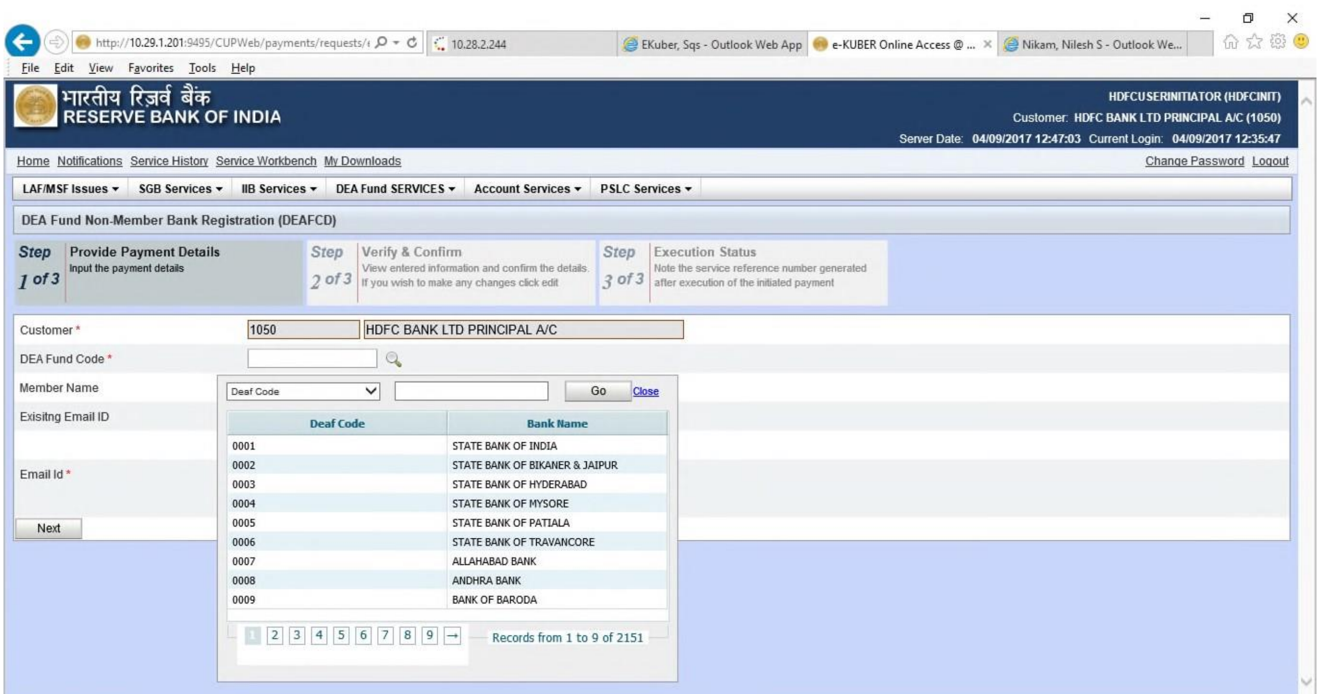

- "DEA Fund Code" के अंतर्गत, बैंक का विशेष डीईए निधि कोड दर्ज करें (अथवा Lookup अर्थात् मैगनीफाइंग ग्लास से DEA Fund Code खोजें)

- गैर-सदस्य बैंकों की नीचे दिए अनुसार ई-मेल आईडी दर्ज करें (दो से अधिक ई-मेल आईडी को अल्पविराम से अलग किया जा सकता है):

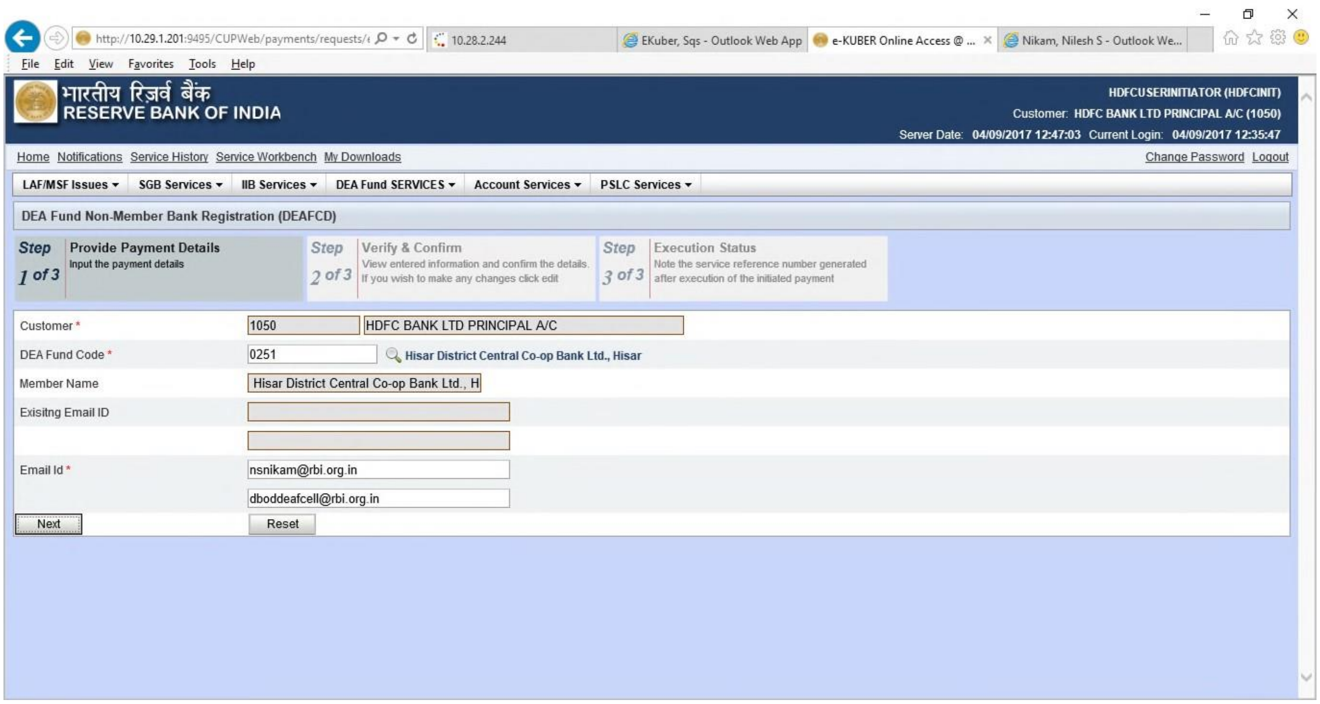

"Next" बटन पर क्लिक करें

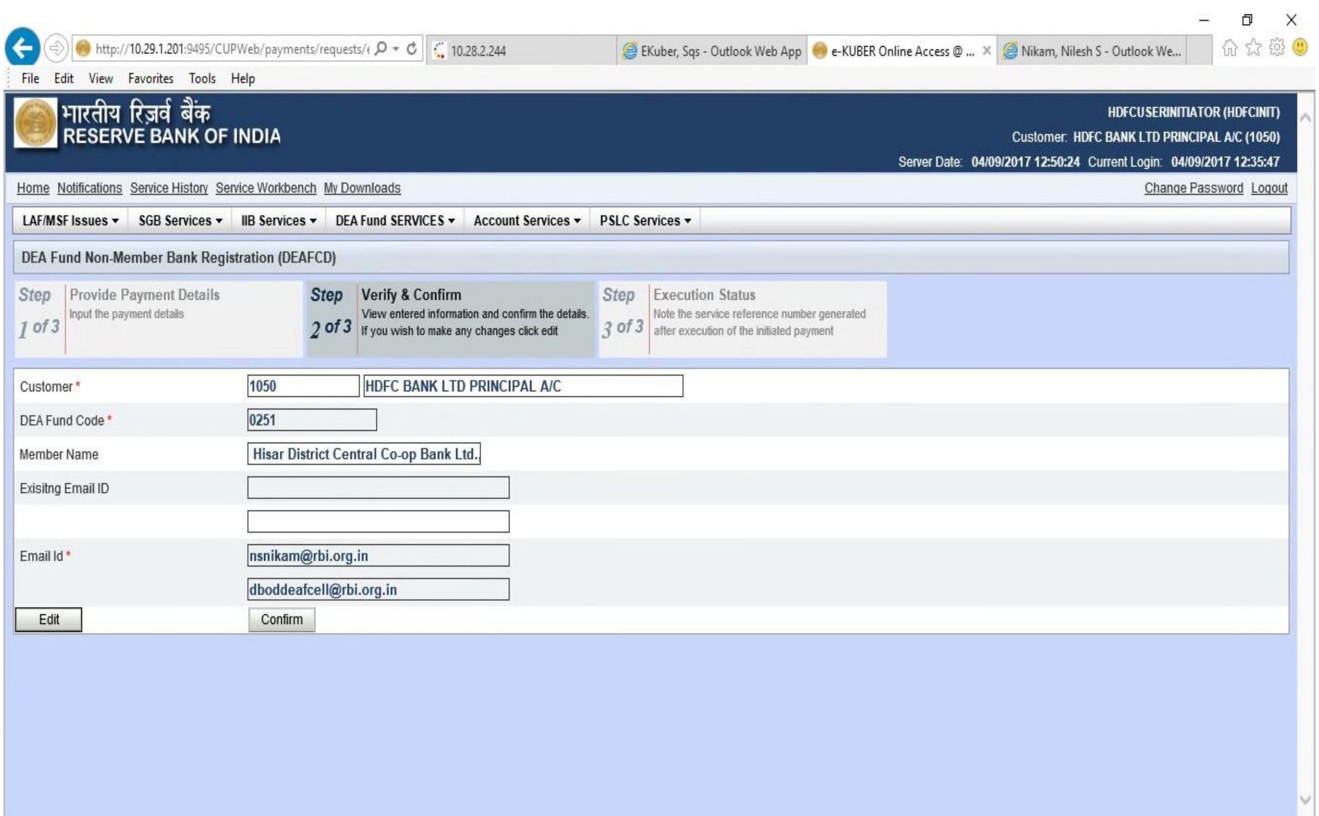

- यदि आवश्यक है तो ईमेल आईडी एडिट करें अन्यथा "Confirm" पर क्लिक करें
- "Confirm" बटन पर क्लिक करने के बाद, नीचे दिए गए अनुसार सर्विस संदर्भ संख्या जनरेट होगी

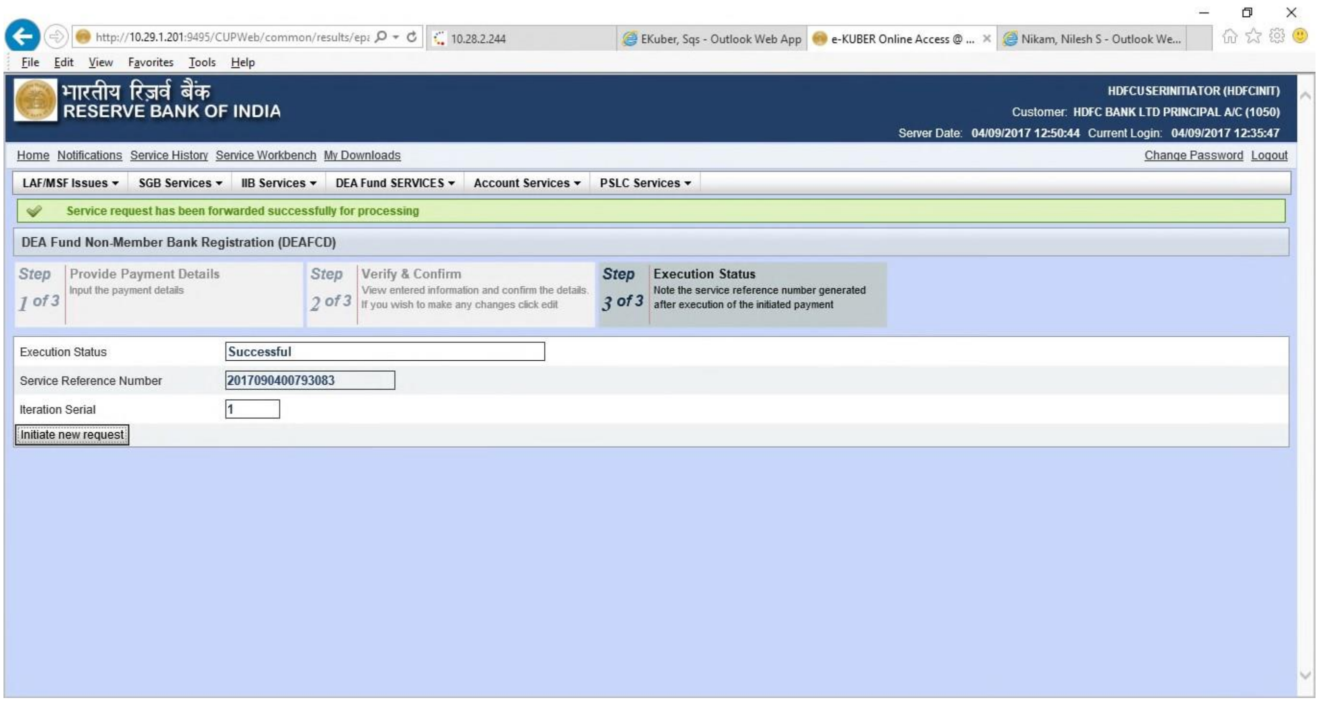

ड्रॉप डाउन में “Service” का चयन करके पंजीकरण की स्थिति की जांच करने के लिए -> “Service History” (टॉप बार) पर जाएं

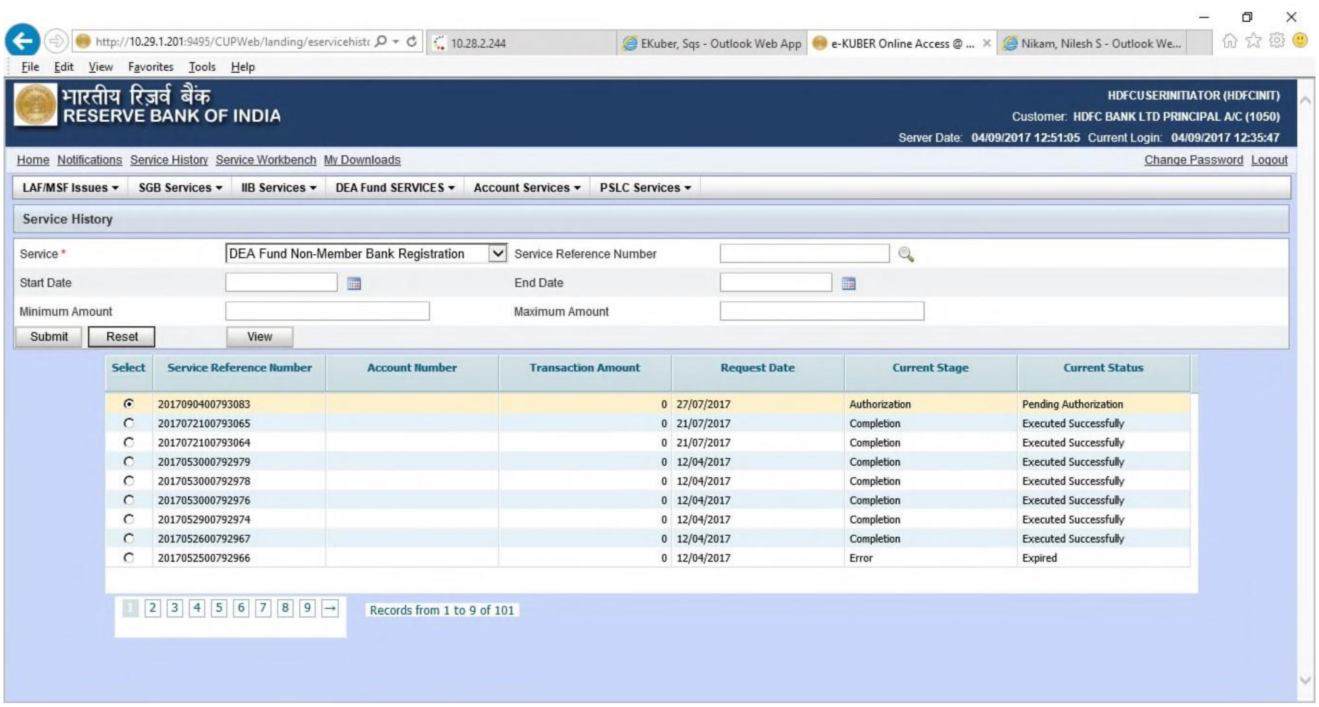

- अब चेकर (सदस्य बैंक से प्राधिकरणकर्ता) पोर्टल पर लॉग इन करेगा और उसे गैर-सदस्य बैंक के पंजीकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत करना होगा :
- “Service Workbench” (टॉप बार) पर जाएं -> “Service” के अंतर्गत ड्रॉप डाउन से “DEA Fund Non-Member Bank Registration” चुनें और फिर “View” पर क्लिक करें।

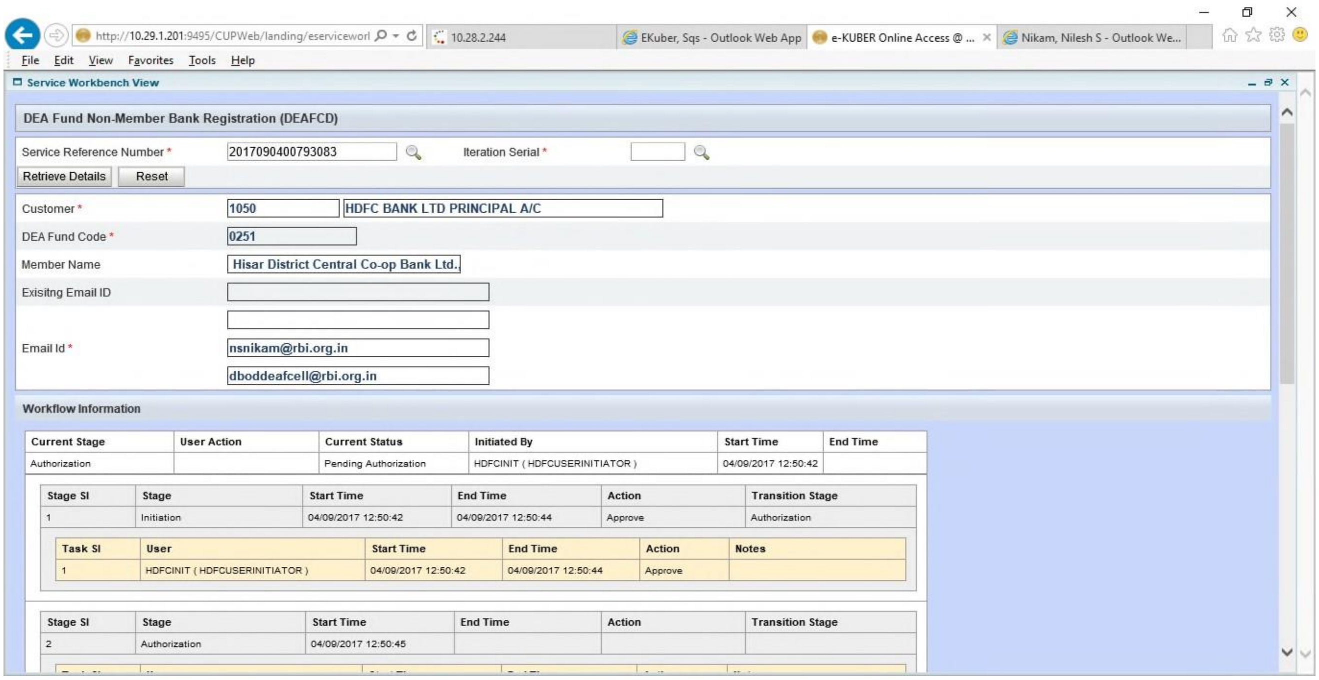

- यदि विवरण सही हैं तो व्यू विंडो बंद करें।
- "Approve" और फिर "process" पर क्लिक करें

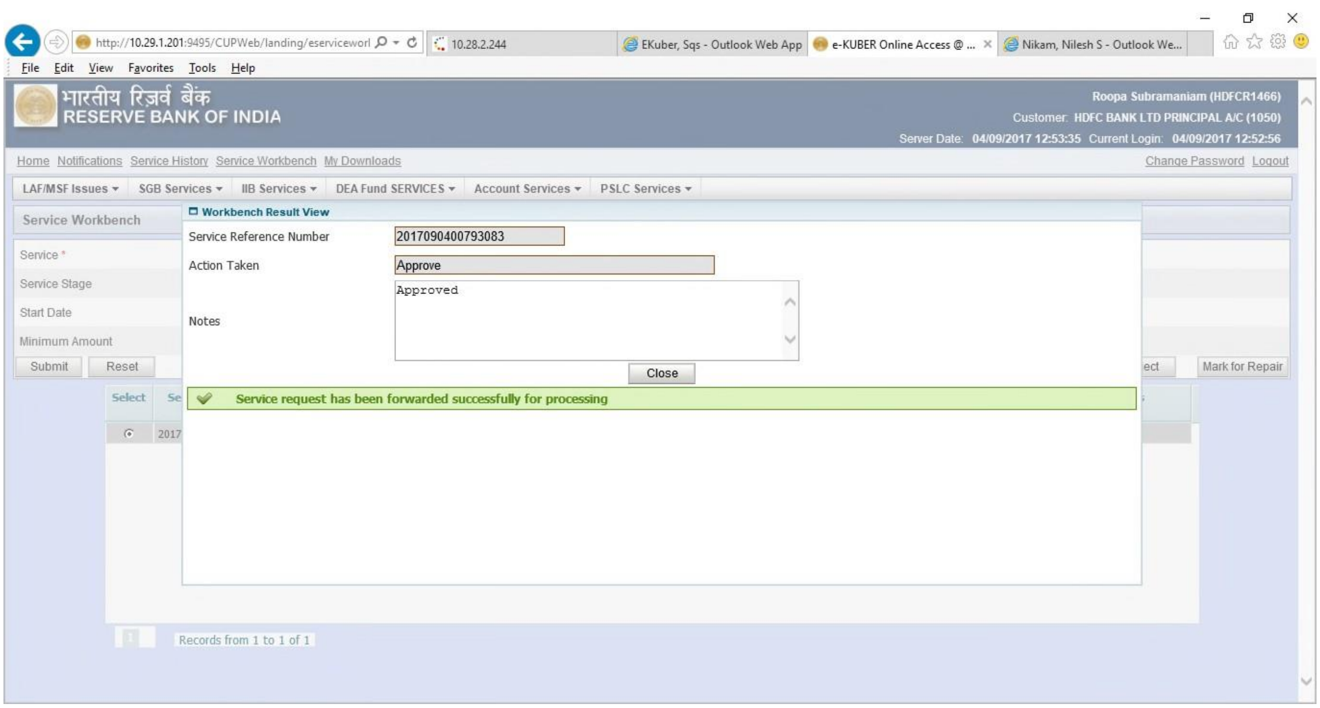

- स्थिति को जांचने के लिए सेवा इतिहास (service history) पर जाएं -> "सफलतापूर्वक निष्पादित" ("Executed successfully") पर जाएं

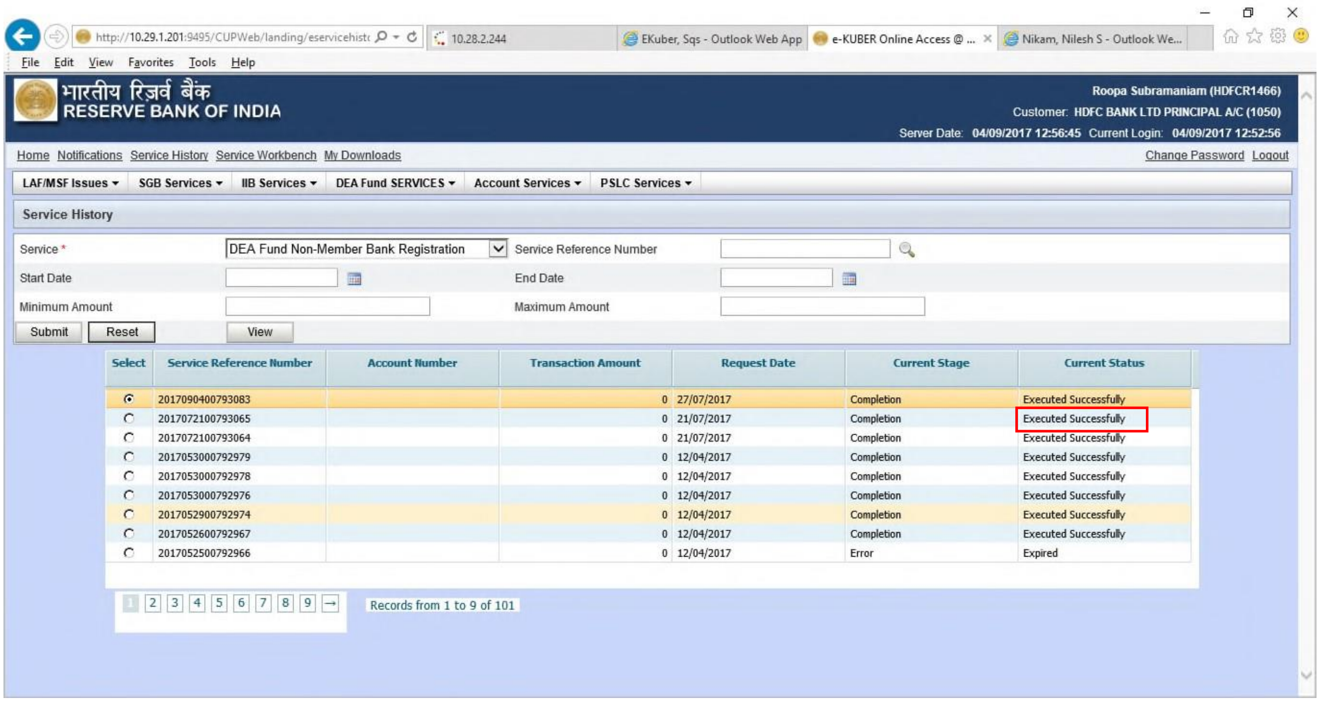

1.1 ईमेल चेतावनी - गैर सदस्य बैंक पंजीकरण

- बैंक को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर एक स्वचालित ई-मेल भेजा जाएगा

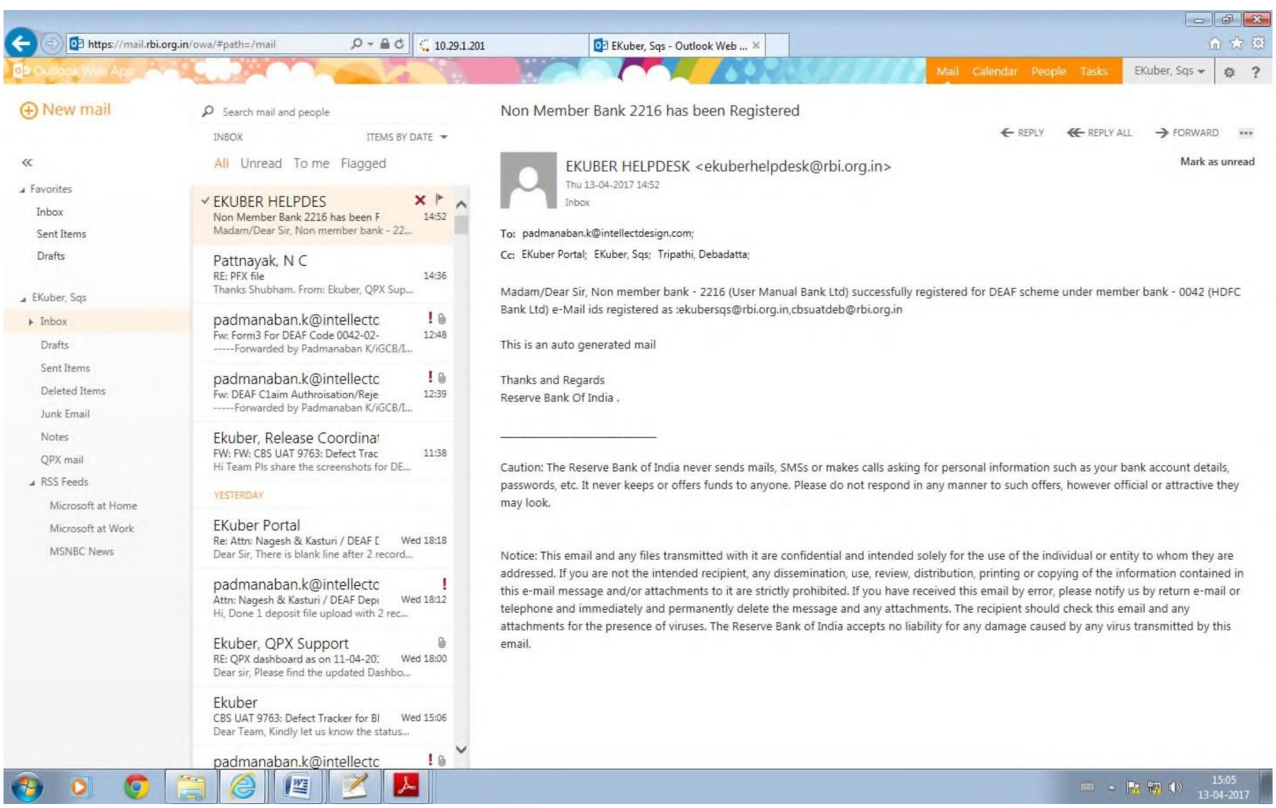

2. डीईए निधि जमाराशि

- सदस्य बैंक उस विशेष माह में डीईए निधि कक्ष में अंतरित की जाने वाली जमाराशियों का विवरण दर्ज करने के लिए पोर्टल पर डीईए निधि सेवाओं में "डीईए निधि जमाराशि प्रविष्टि" ("DEA Fund deposit entry") विंडो पर जा सकते हैं (सदस्य बैंक गैर-सदस्य बैंकों के लिए उनके डीईए फंड कोड का उपयोग करके जमा कर सकते हैं)

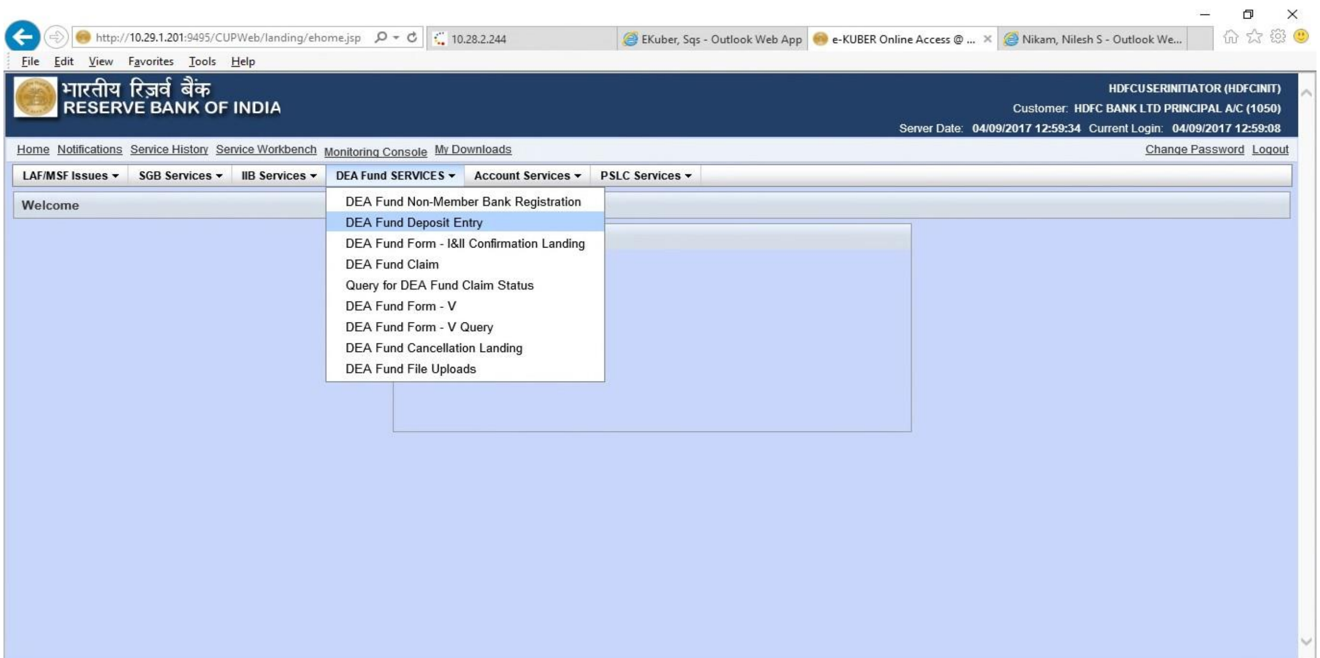

- बैंक का डीईए निधि कोड दर्ज करें
- उस माह में किसी विशेष बैंक के लिए अंतरित की जाने वाली कुल राशि और कुल खाते दर्ज करें।
- जमा श्रेणी अर्थात आईबी, एनआईबी और ओटीएच (नीचे दिखाए अनुसार बॉक्स में केवल बड़े अक्षरों (Capital letters) में दर्ज करें) का चयन करके और फिर 'जोड़ें' ('ADD') बटन पर क्लिक करके इन खातों और राशि को विभाजित करें।

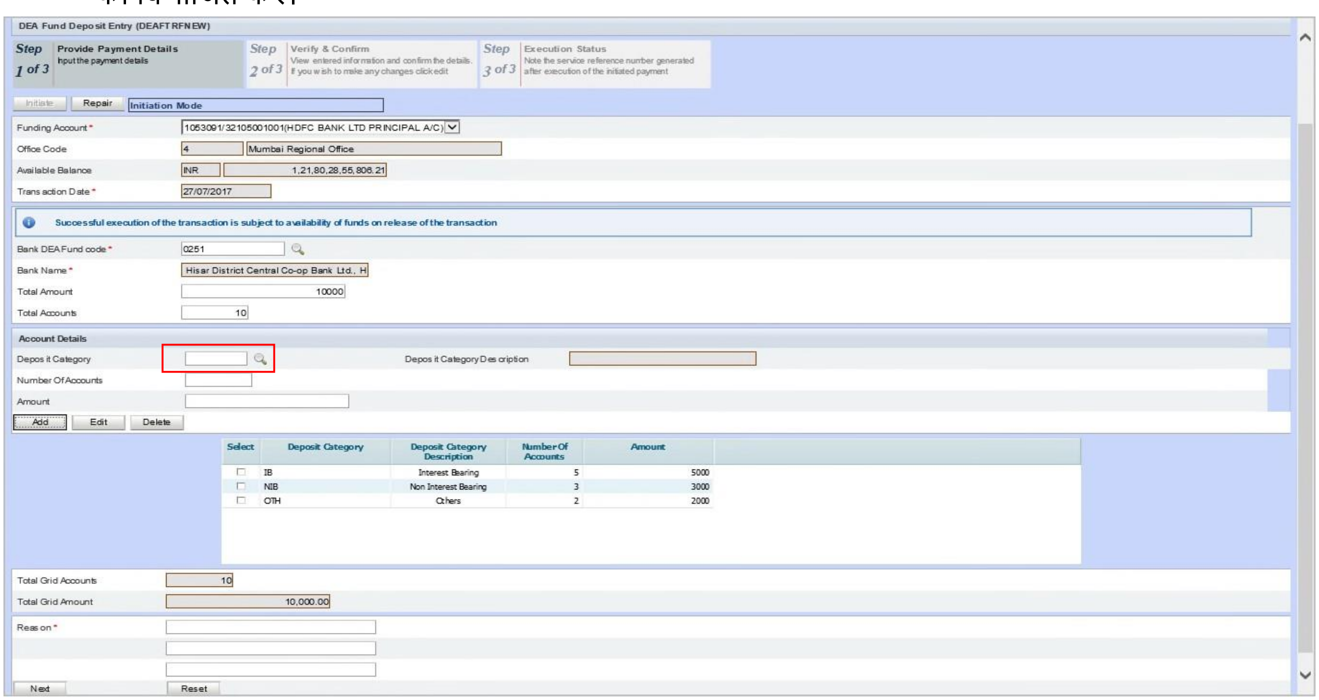

- “अगला” (“next”) बटन पर क्लिक करें।
- यदि आवश्यक हो तो “संपादित करें” (“Edit”) पर क्लिक करें, अन्यथा “पुष्टि करें” (“confirm”) बटन पर क्लिक करें।

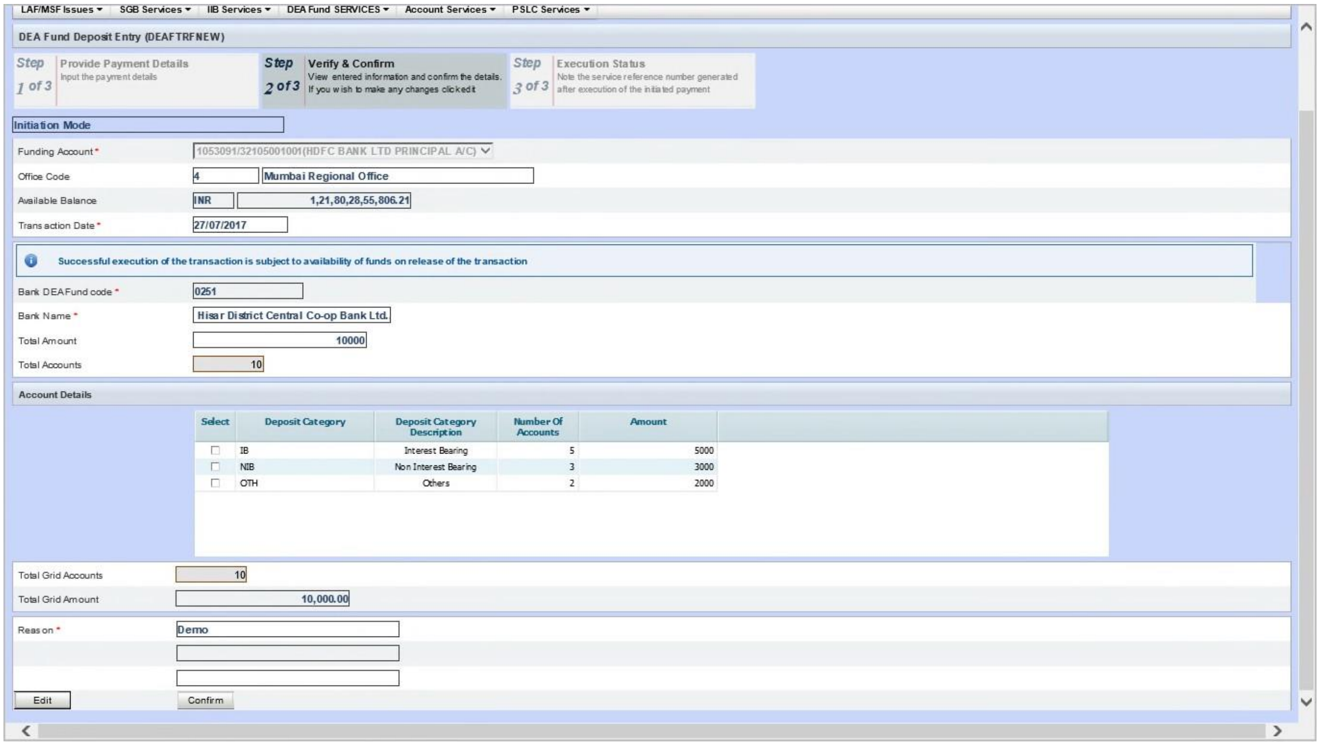

- “पुष्टि करें” (“confirm”) बटन पर क्लिक करने पर सेवा संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।

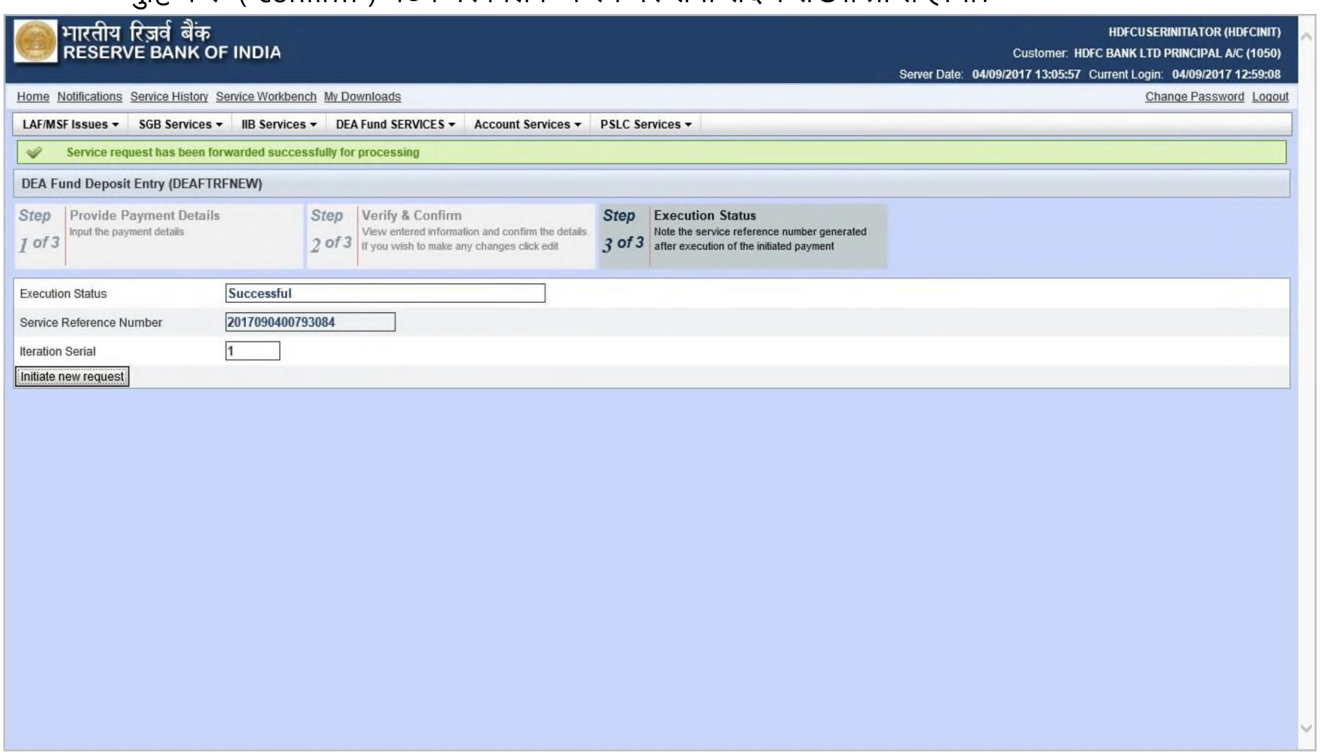

- “जांचकर्ता” (“Checker”) (सदस्य बैंक से) को “निर्माता” (“maker”) द्वारा की गई जमा प्रविष्टि को अधिकृत करने की आवश्यकता होगी।
- "सर्विस वर्कबेंच" (“Service Workbench”) पर जाएँ -> "सर्विस" के अंतर्गत ड्रॉप डाउन से "डीईए निधि जमाराशि प्रविष्टि" (“DEA Fund Deposit Entry”) चुनें और फिर "देखें" (“View”) पर क्लिक करें तथा व्यू विंडो बंद करें। यदि दर्ज किए गए विवरण सही हैं, तो "अनुमोदन" (“Approve”) और फिर "प्रक्रिया" (“Process”) पर क्लिक करें।

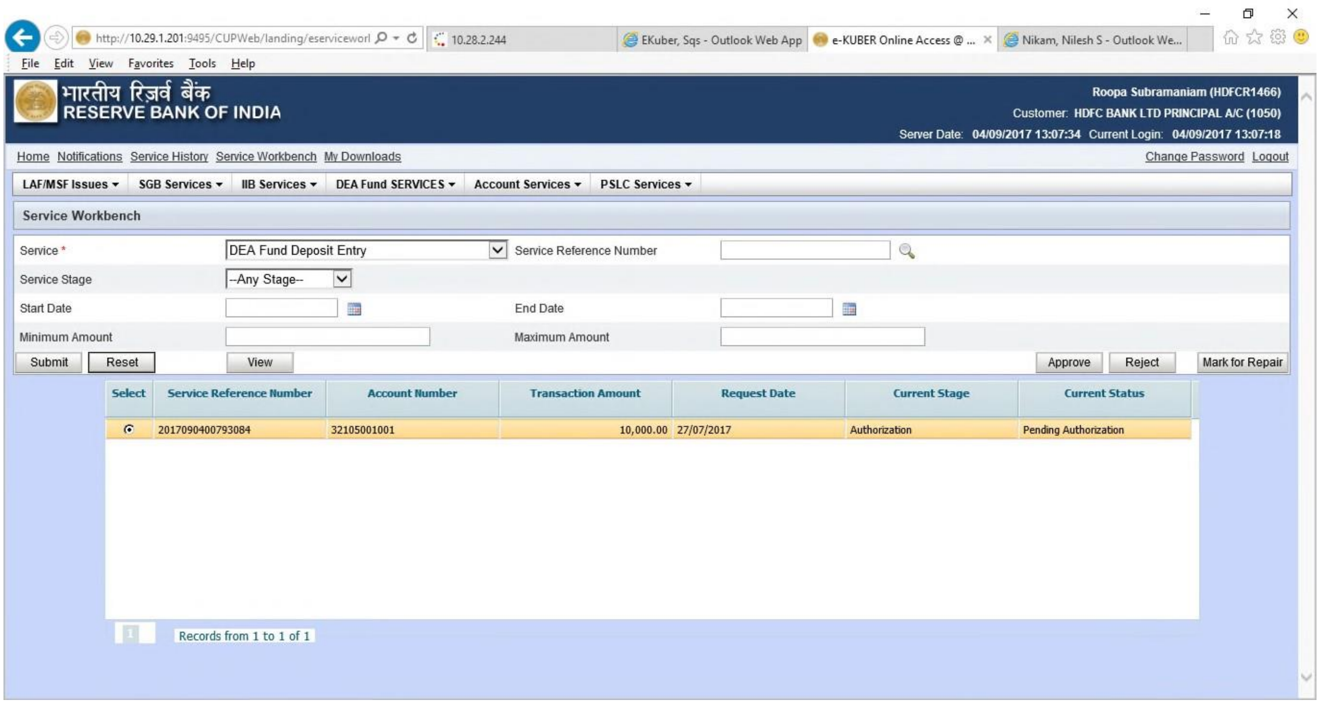

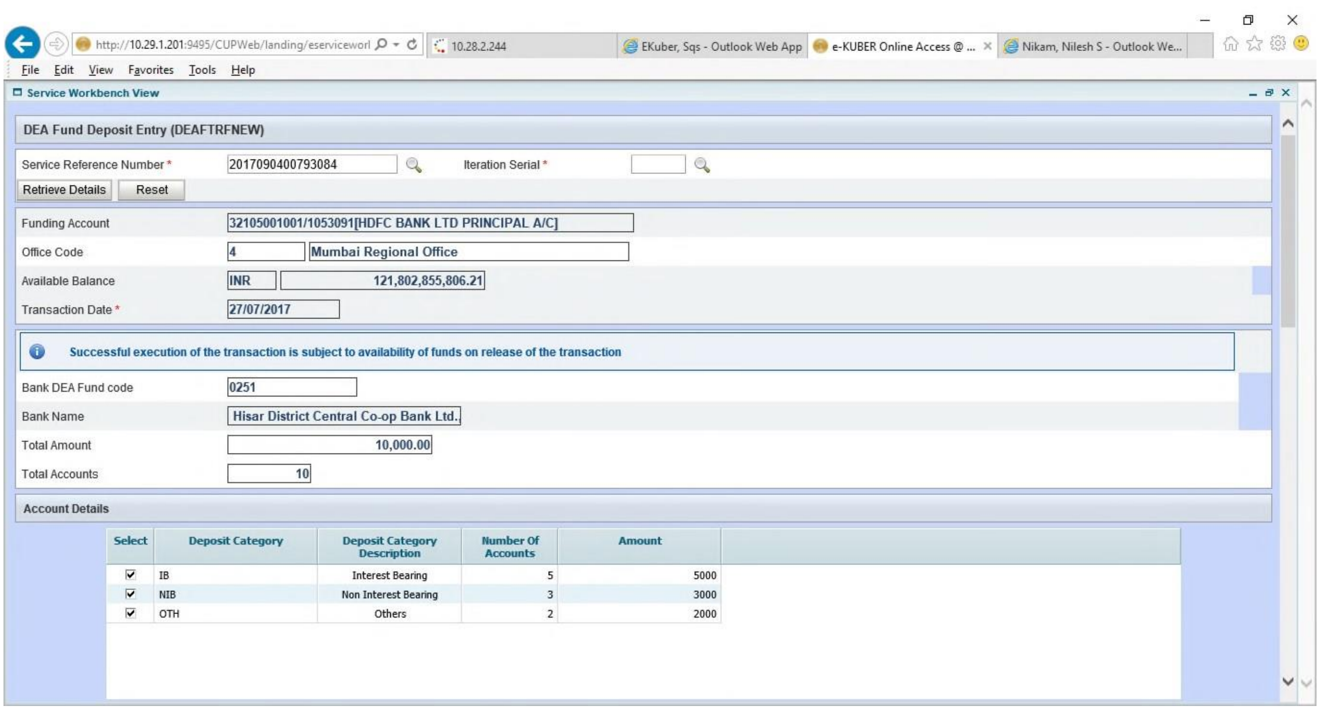

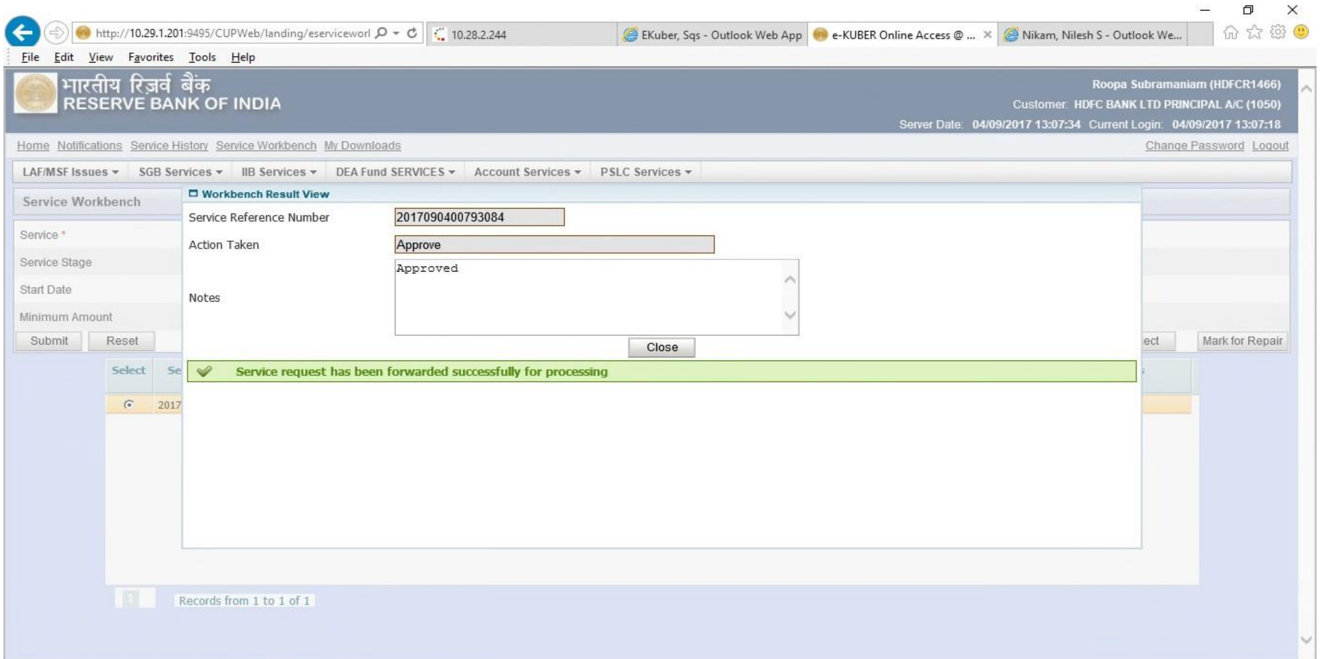

- प्राधिकरण की स्थिति की जाँच करने के लिए सेवा इतिहास (service history) -> पर जाएँ

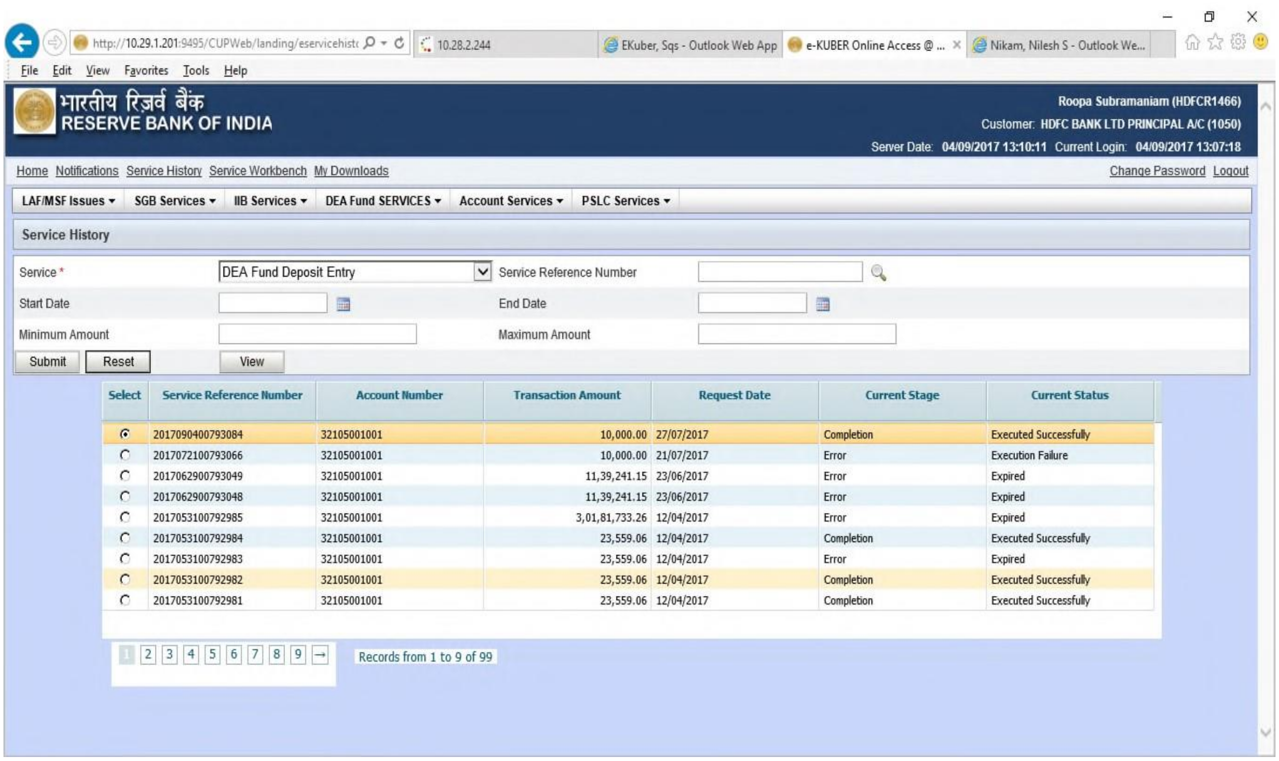

- दर्ज किए गए विवरण देखने के लिए “देखें” (“View”) विकल्प पर क्लिक करें

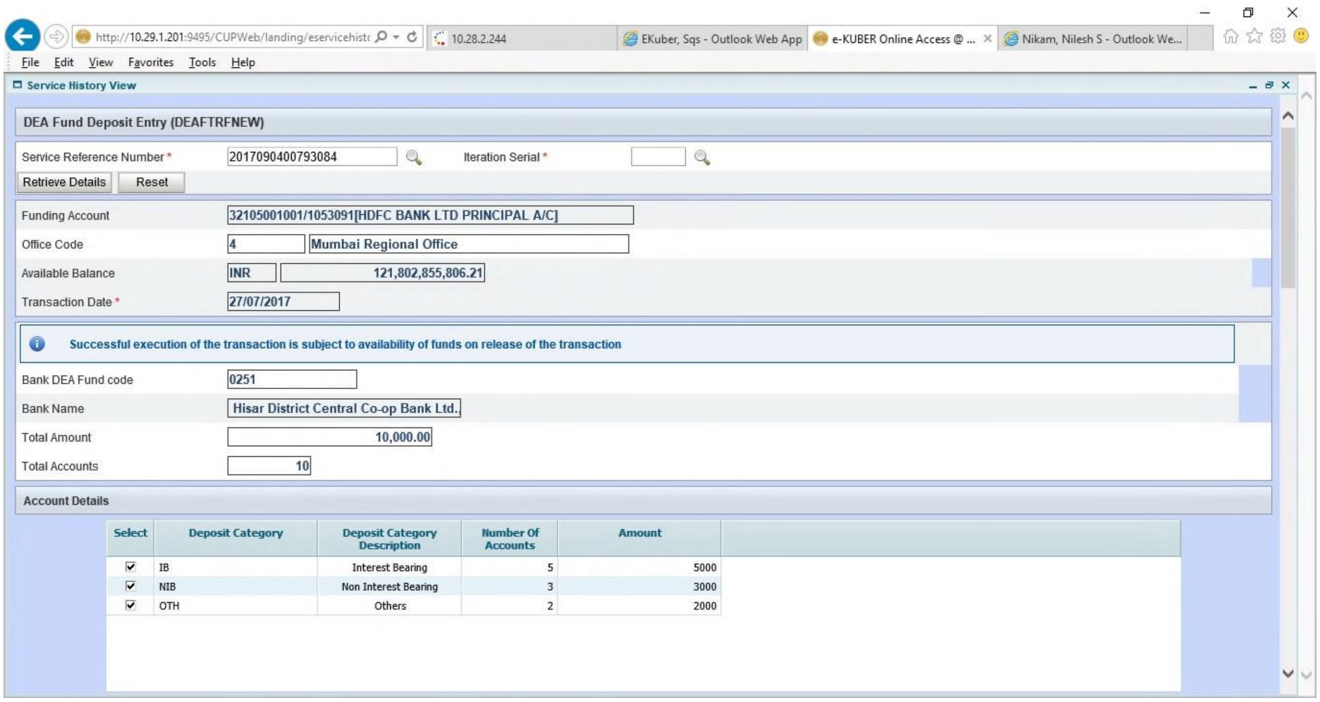

- बैच नंबर स्क्रीन पर नीचे की ओर देखा जा सकता है।

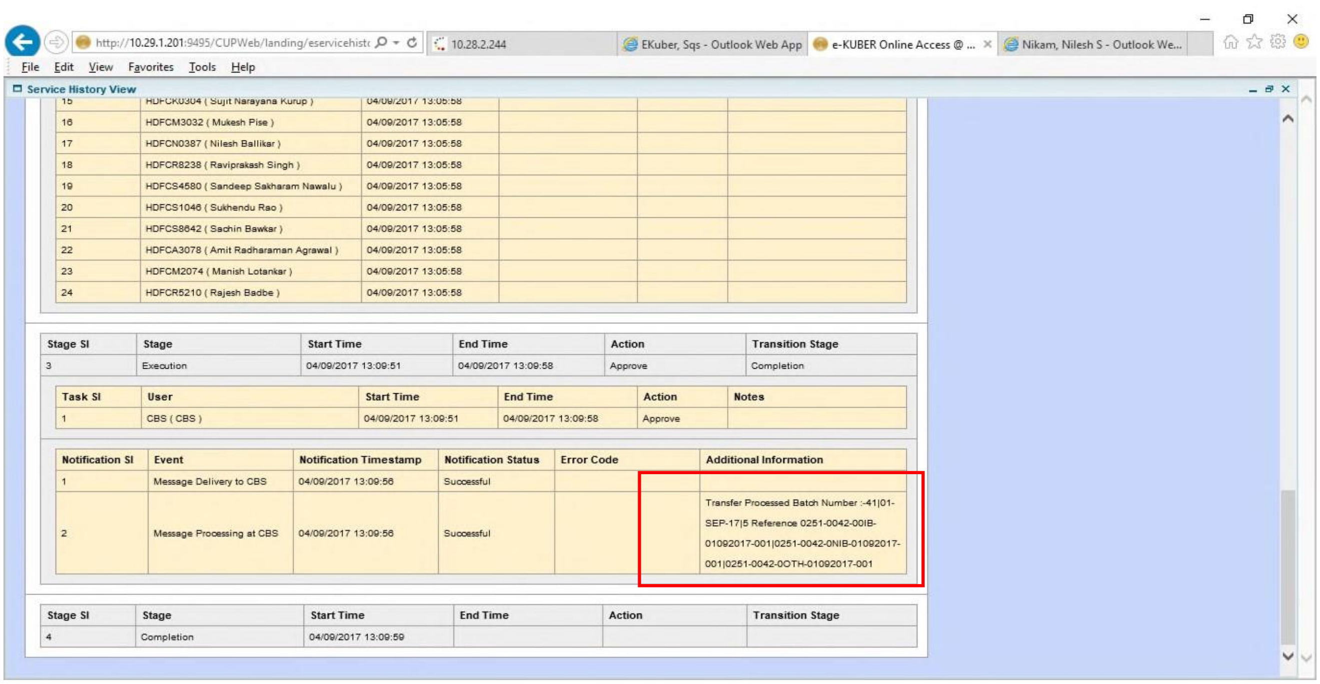

2.1 मेरे डाउनलोड - जमा रसीद (My downloads - Deposit Receipt)

- बैंक किसी विशेष माह के लिए जमा रसीद को "मेरे डाउनलोड" ("My Downloads") के अंतर्गत जाकर और फिर "रिपोर्ट कोड" के अंतर्गत "डीईए निधि जमा रसीद" ("DEA Fund deposit receipt") का चयन करके देख सकेंगे।
- लुकअप (मैग्नीफाइंग ग्लास) पर क्लिक करें और टेक्स्ट बॉक्स में डीईए निधि टाइप करें और फिर "गो" ("Go") पर क्लिक करें।

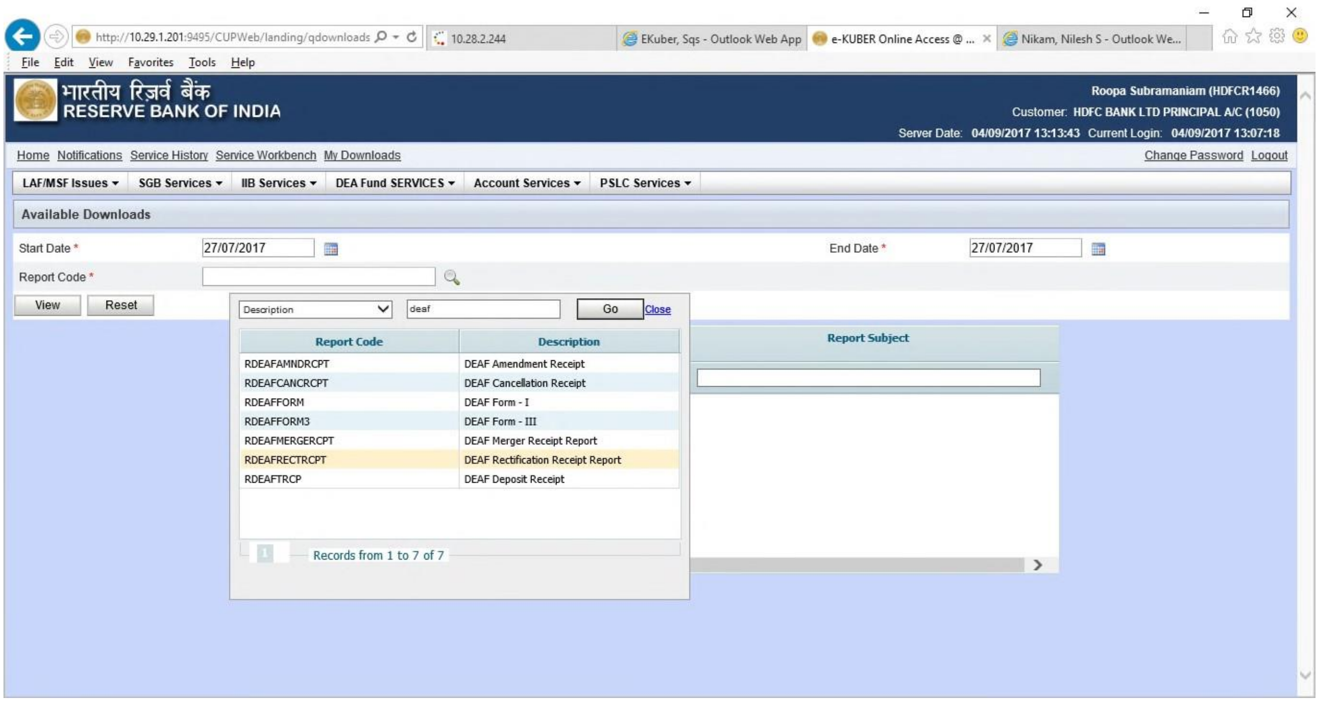

- स्क्रीन पर आई सूची से "डीईए निधि जमा रसीद" ("DEA Fund deposit receipt") का चयन करें। फिर "देखें" ("View") पर क्लिक करें और विशेष प्रविष्टि चुनें। रसीद डाउनलोड करने के लिए आवश्यक रिपोर्ट नाम पर क्लिक करें

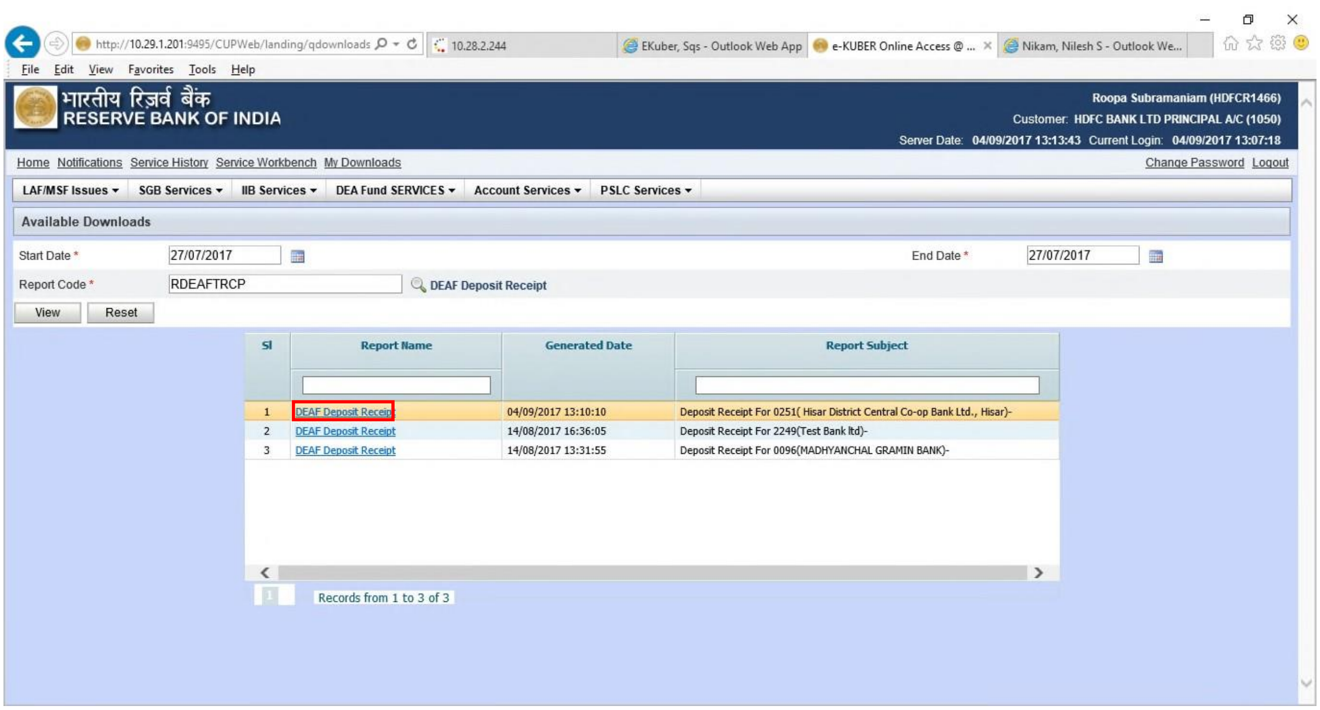

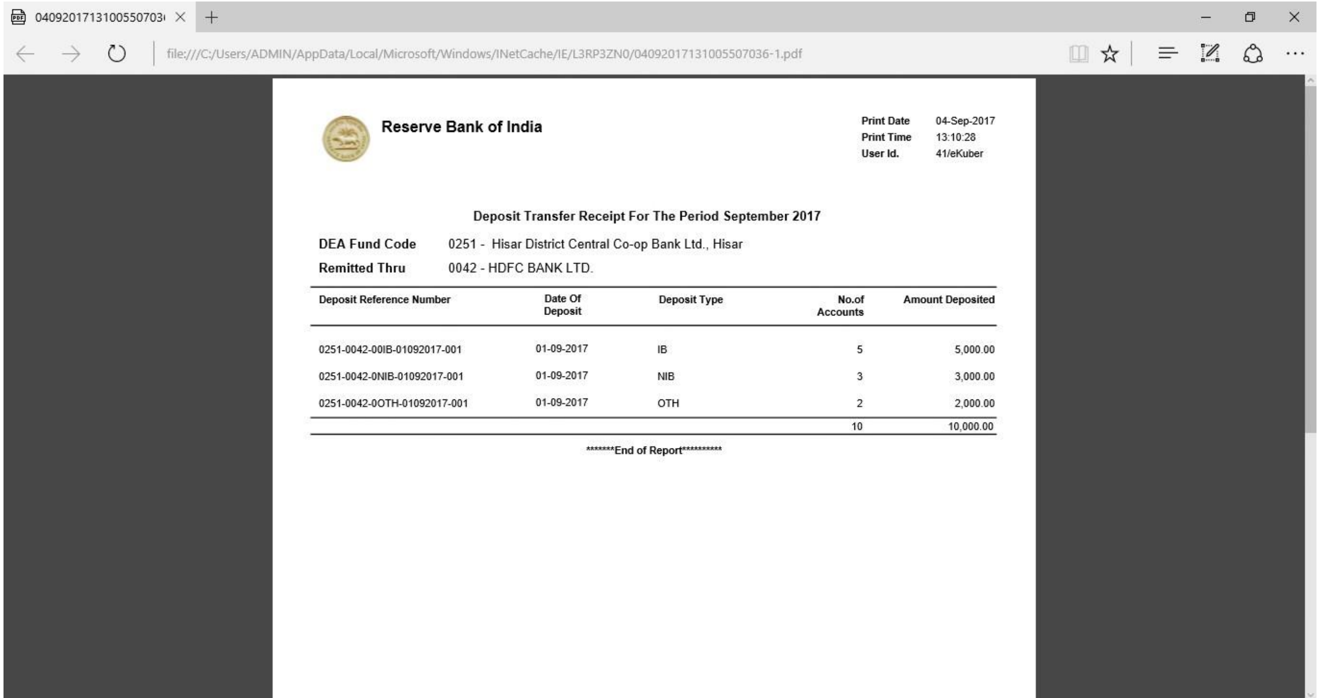

Reserve Bank of India

Print Date	04-Sep-2017
Print Time	13:10:28
User Id.	41/eKuber

Deposit Transfer Receipt For The Period September 2017

DEA Fund Code 0251 - Hisar District Central Co-op Bank Ltd., Hisar

Remitted Thru 0042 - HDFC BANK LTD.

Deposit Reference Number	Date Of Deposit	Deposit Type	No.of Accounts	Amount Deposited
0251-0042-00IB-01092017-001	01-09-2017	IB	5	5,000.00
0251-0042-0NIB-01092017-001	01-09-2017	NIB	3	3,000.00
0251-0042-0OTH-01092017-001	01-09-2017	OTH	2	2,000.00
			10	10,000.00

*******End of Report**********

2.2 जमा रसीद – ईमेल सूचना

- बैंकों को किसी विशिष्ट माह में किए गए अंतरण के लिए स्वतः जनरेट जमा रसीद भी उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी।

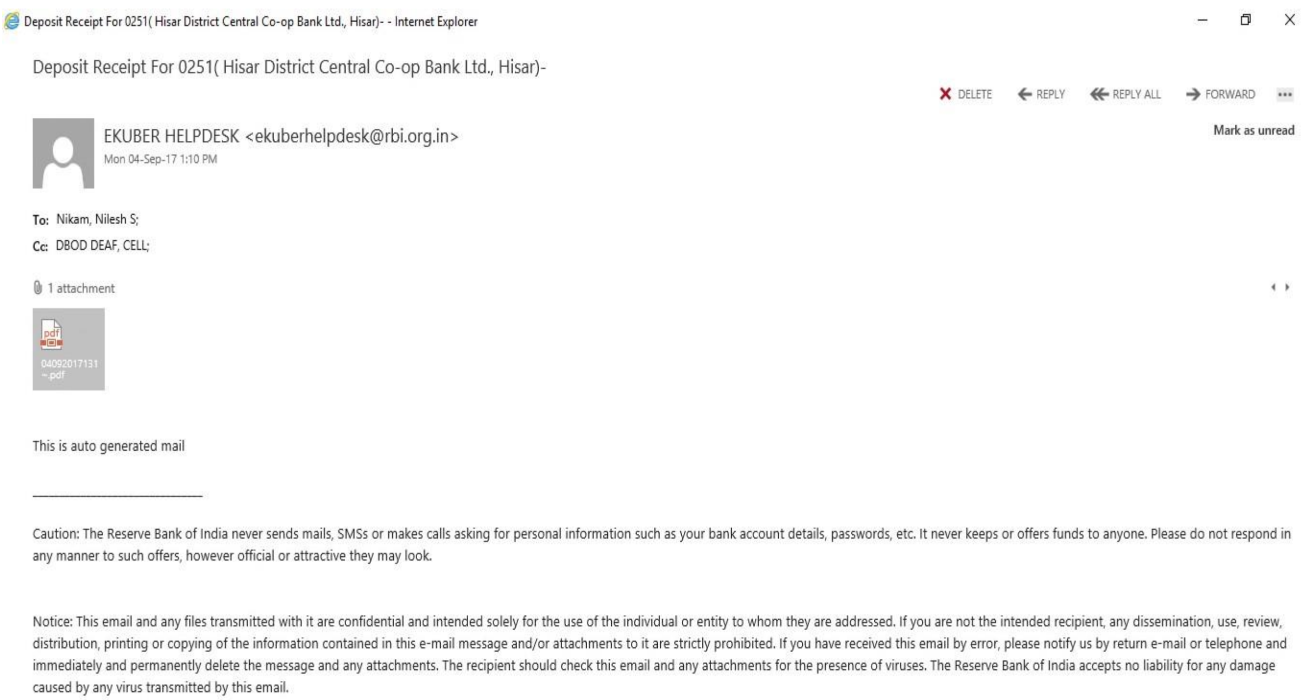

Deposit Receipt For 0251(Hisar District Central Co-op Bank Ltd., Hisar)-

EKUBER HELPDESK <ekuberhelpdesk@rbi.org.in>
Mon 04-Sep-17 1:10 PM

To: Nikam, Nilesh S;
Cc: DBOD DEAF, CELL;

1 attachment

This is auto generated mail

Caution: The Reserve Bank of India never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information such as your bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers, however official or attractive they may look.

Notice: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, any dissemination, use, review, distribution, printing or copying of the information contained in this e-mail message and/or attachments to it are strictly prohibited. If you have received this email by error, please notify us by return e-mail or telephone and immediately and permanently delete the message and any attachments. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Reserve Bank of India accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

3. फॉर्म I को जनरेट करना और पुष्टिकरण

फॉर्म I ई-मेल द्वारा

- फॉर्म I प्रत्येक माह के अंत में <u>स्वत: जनरेट</u> हो जाएगा तथा संबंधित बैंकों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

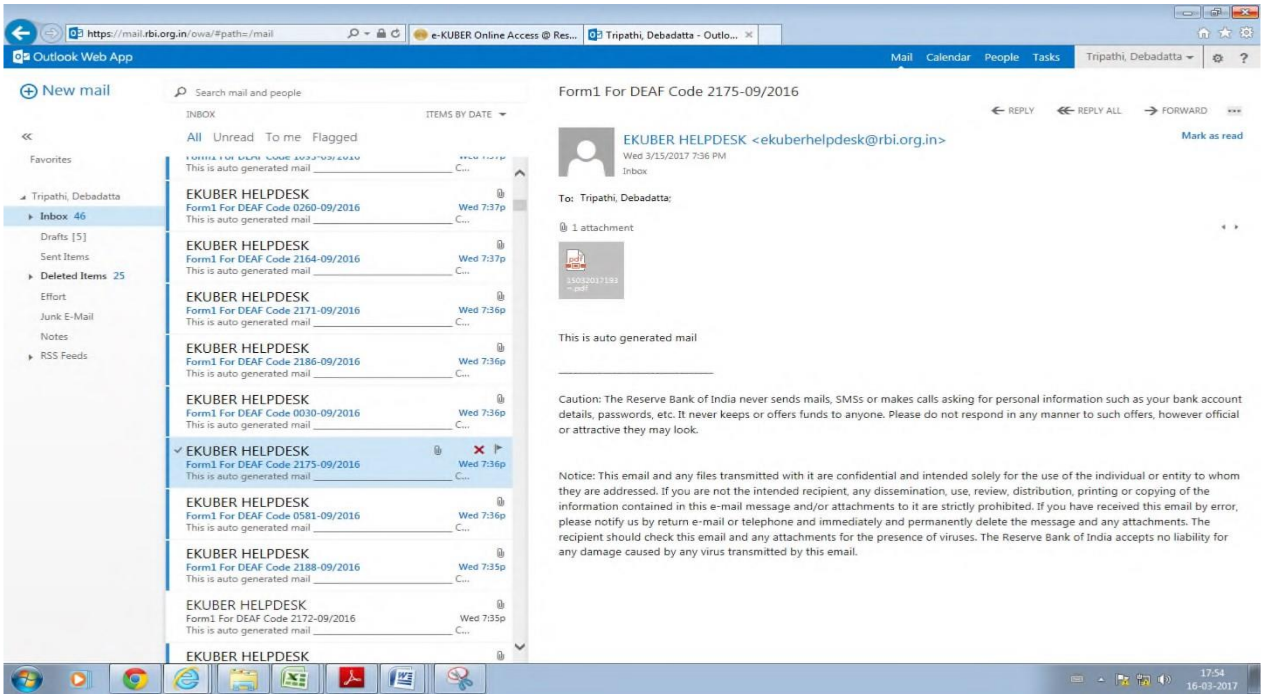

3.1 पोर्टल से फॉर्म I जनरेट करना (डाउनलोड करना)

- सदस्य बैंक अपने बैंक के लिए प्रत्येक माह के अंत में पोर्टल पर "My Downloads" के अंतर्गत फॉर्म I भी देख सकेंगे:

  “My Downloads” पर जाएं और “Report code” के अंतर्गत “DEA Fund Form I” का चयन करें। लुक अप (आवर्धक लेंस) पर क्लिक करें और टेक्स्टबॉक्स में “DEA Fund” टाइप करें और फिर “Go” पर क्लिक करें। प्रदर्शित सूची से “DEA Fund Form I” का चयन करें। फिर “View” पर क्लिक करें और विशिष्ट प्रविष्टि का चयन करें।
- फॉर्म I डाउनलोड करने के लिए अपेक्षित रिपोर्ट नाम पर क्लिक करें।

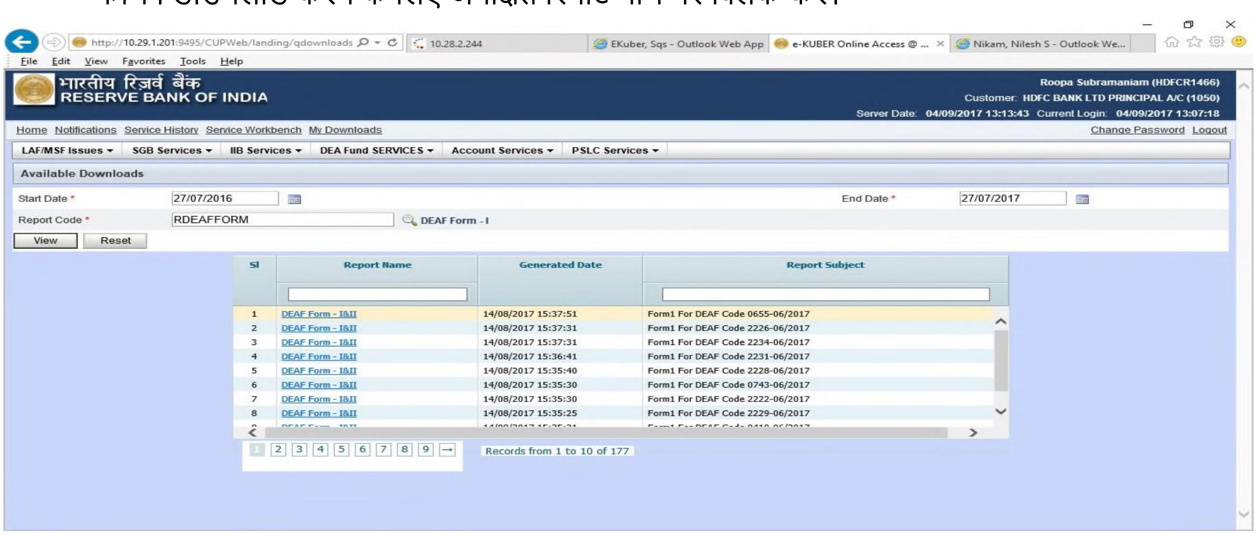

फॉर्म I का स्क्रीन शॉट निम्नानुसार है:

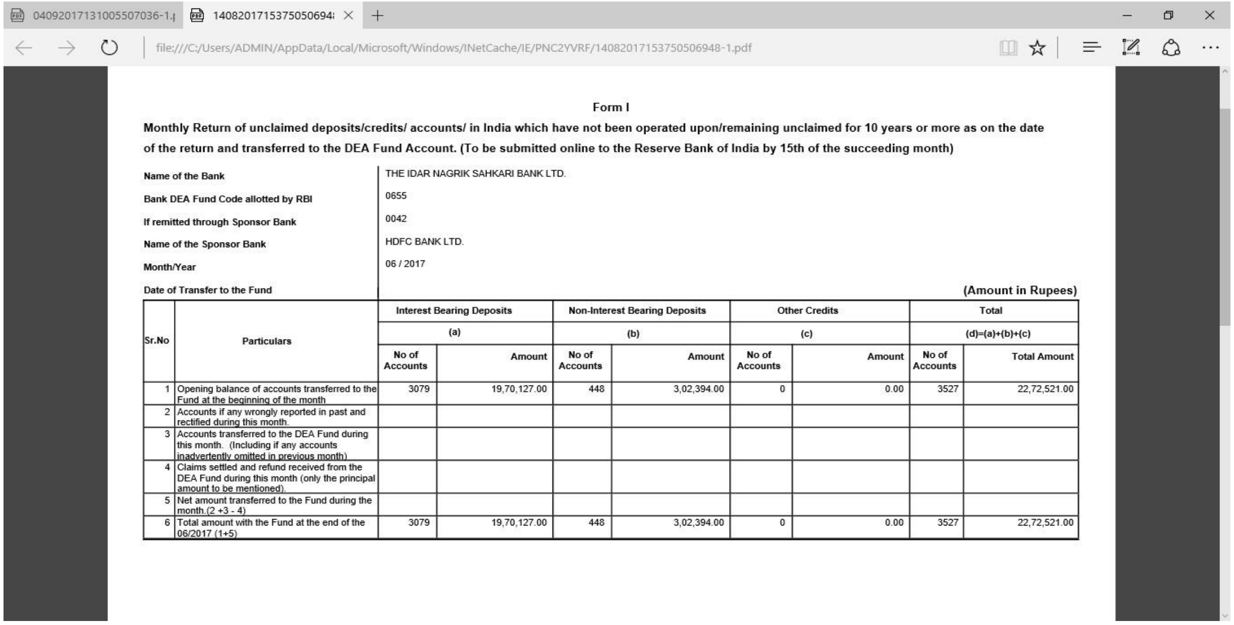

Form I

Monthly Return of unclaimed deposits/credits/ accounts/ in India which have not been operated upon/remaining unclaimed for 10 years or more as on the date of the return and transferred to the DEA Fund Account. (To be submitted online to the Reserve Bank of India by 15th of the succeeding month)

Name of the Bank	THE IDAR NAGRIK SAHKARI BANK LTD.
Bank DEA Fund Code allotted by RBI	0655
If remitted through Sponsor Bank	0042
Name of the Sponsor Bank	HDFC BANK LTD.
Month/Year	06 / 2017
Date of Transfer to the Fund	

(Amount in Rupees)

Sr.No	Particulars	Interest Bearing Deposits (a)		Non-Interest Bearing Deposits (b)		Other Credits (c)		Total (d)=(a)+(b)+(c)	
		No of Accounts	Amount	No of Accounts	Amount	No of Accounts	Amount	No of Accounts	Total Amount
1	Opening balance of accounts transferred to the Fund at the beginning of the month	3079	19,70,127.00	448	3,02,394.00	0	0.00	3527	22,72,521.00
2	Accounts if any wrongly reported in past and rectified during this month.								
3	Accounts transferred to the DEA Fund during this month. (Including if any accounts inadvertently omitted in previous month)								
4	Claims settled and refund received from the DEA Fund during this month (only the principal amount to be mentioned).								
5	Net amount transferred to the Fund during the month.(2 +3 - 4)								
6	Total amount with the Fund at the end of the 06/2017 (1+5)	3079	19,70,127.00	448	3,02,394.00	0	0.00	3527	22,72,521.00

3.2 डीईए फंड फॉर्म I पुष्टिकरण

- सदस्य बैंक फॉर्म I डाउनलोड कर सकते हैं और विवरण सत्यापित कर सकते हैं
- सदस्य बैंक नीचे उल्लिखित चरणों के अनुसार पोर्टल के माध्यम से फॉर्म I की पुष्टि कर सकते हैं:
  - i. “DEA Fund Services” पर जाएं -> DEA Fund Form I Confirmation landing
  - ii. DEA Fund code का चयन करें और submit पर क्लिक करें तथा उस माह का चयन करें जिसके लिए फॉर्म I की पुष्टि करनी है
  - iii. “Select Service” ड्रॉप डाउन के अंतर्गत DEA Fund Form I confirmation का चयन करें, जैसा कि बॉक्स में दर्शाया गया है

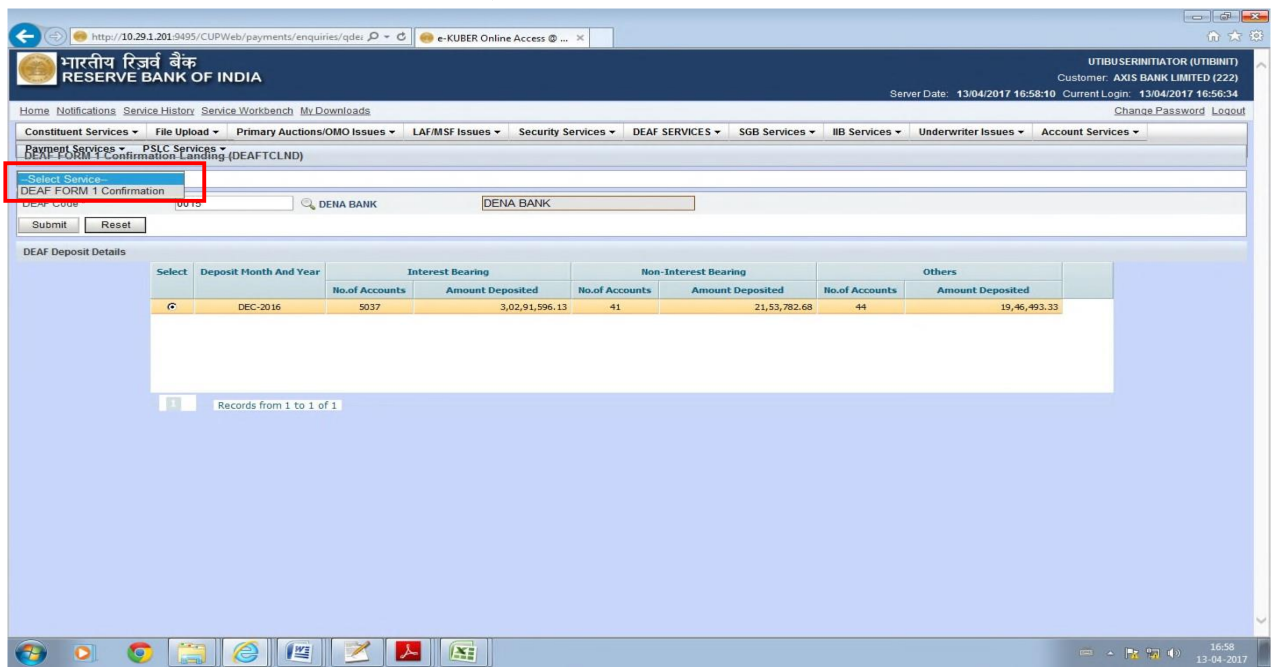

- यदि फॉर्म I का विवरण सही है तो उसे सत्यापित करने के लिए 'Download' पर क्लिक करें।
- "I agree" और "Form has been duly audited by concurrent auditor" विकल्पों पर टिक करें।
- "Next" पर क्लिक करें और फिर "Confirm" पर क्लिक करें।

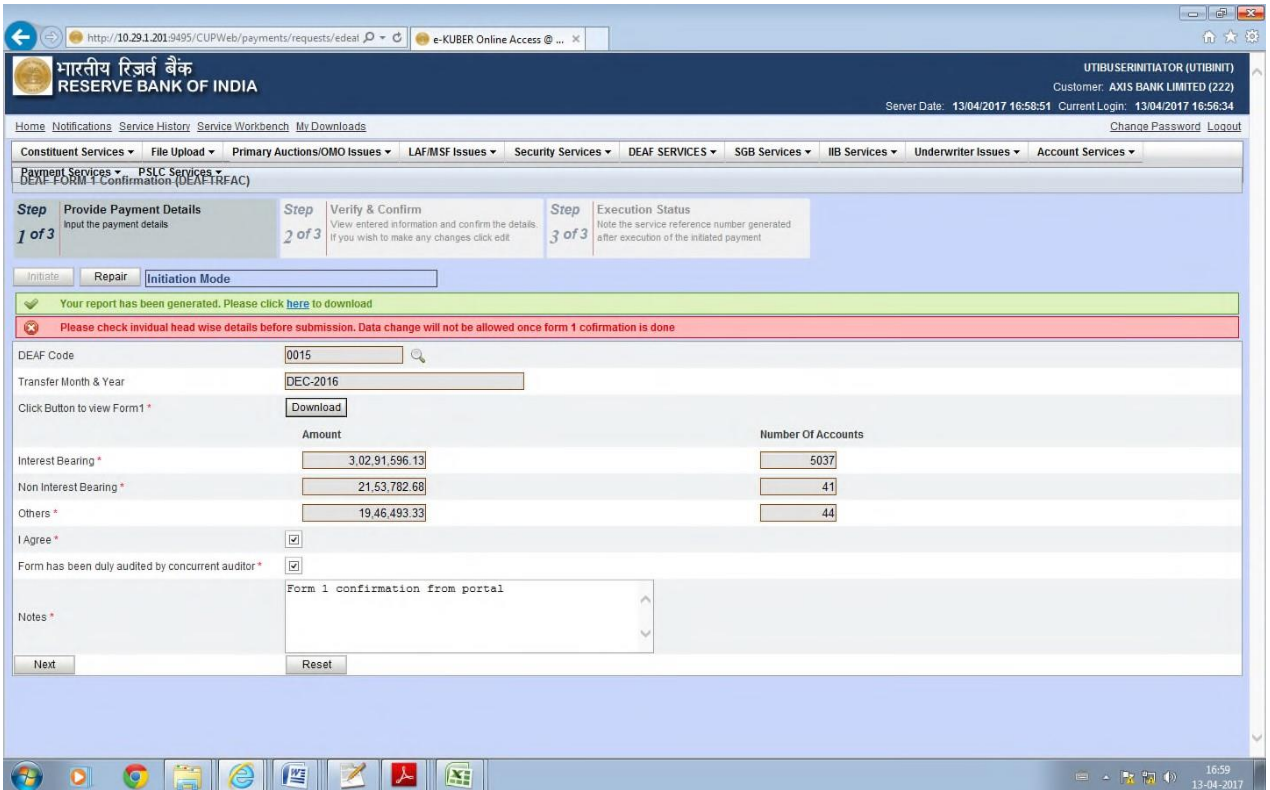

- पुष्टिकरण होने के बाद, एक संदर्भ संख्या जनरेट हो जाएगी।

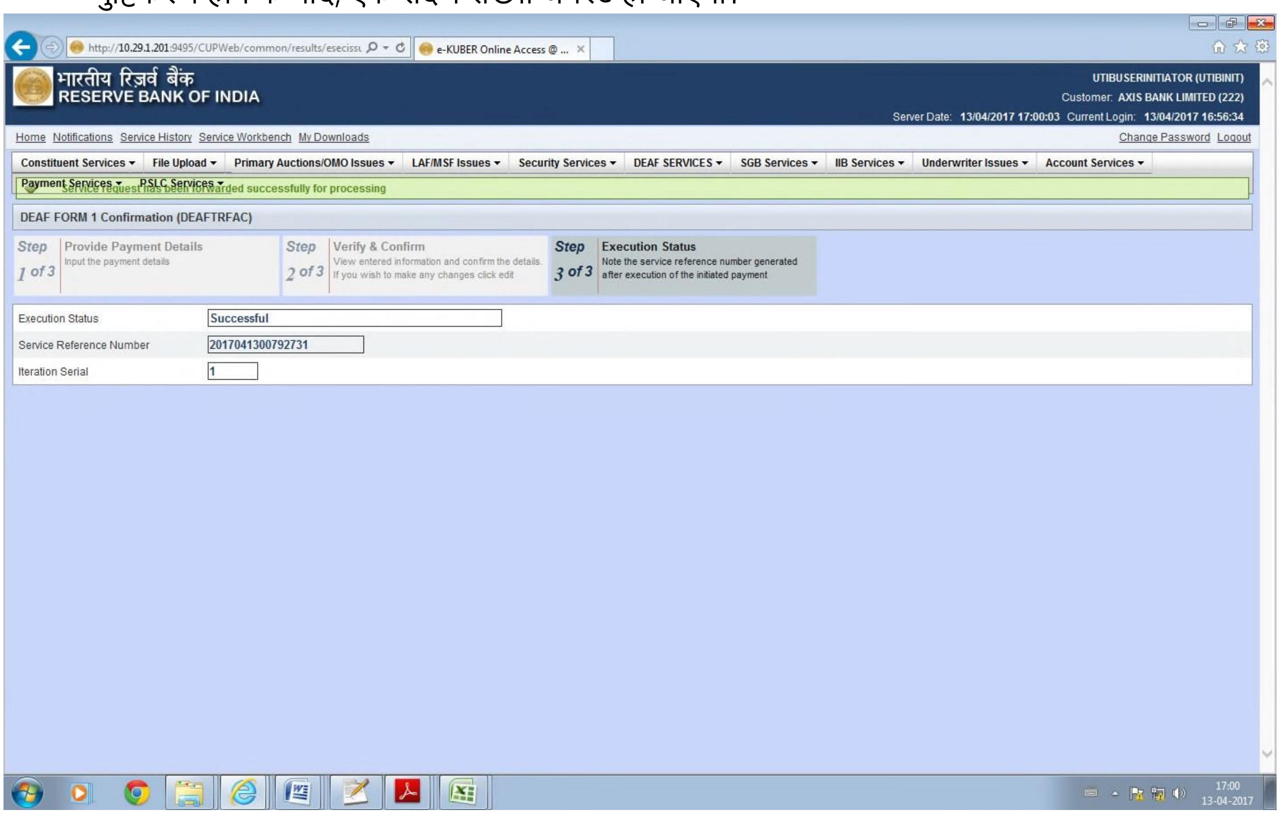

- फॉर्म I पुष्टिकरण को अधिकृत करने के लिए चेकर (सदस्य बैंक से) की आवश्यकता होगी।

- “Service Workbench” पर जाएं -> “Service” के अंतर्गत ड्रॉप डाउन से “DEA Fund Form I confirmation” का चयन करें और फिर “View” पर क्लिक करें। यदि विवरण सही हैं, तो “Approve” और फिर “Process” पर क्लिक करें।

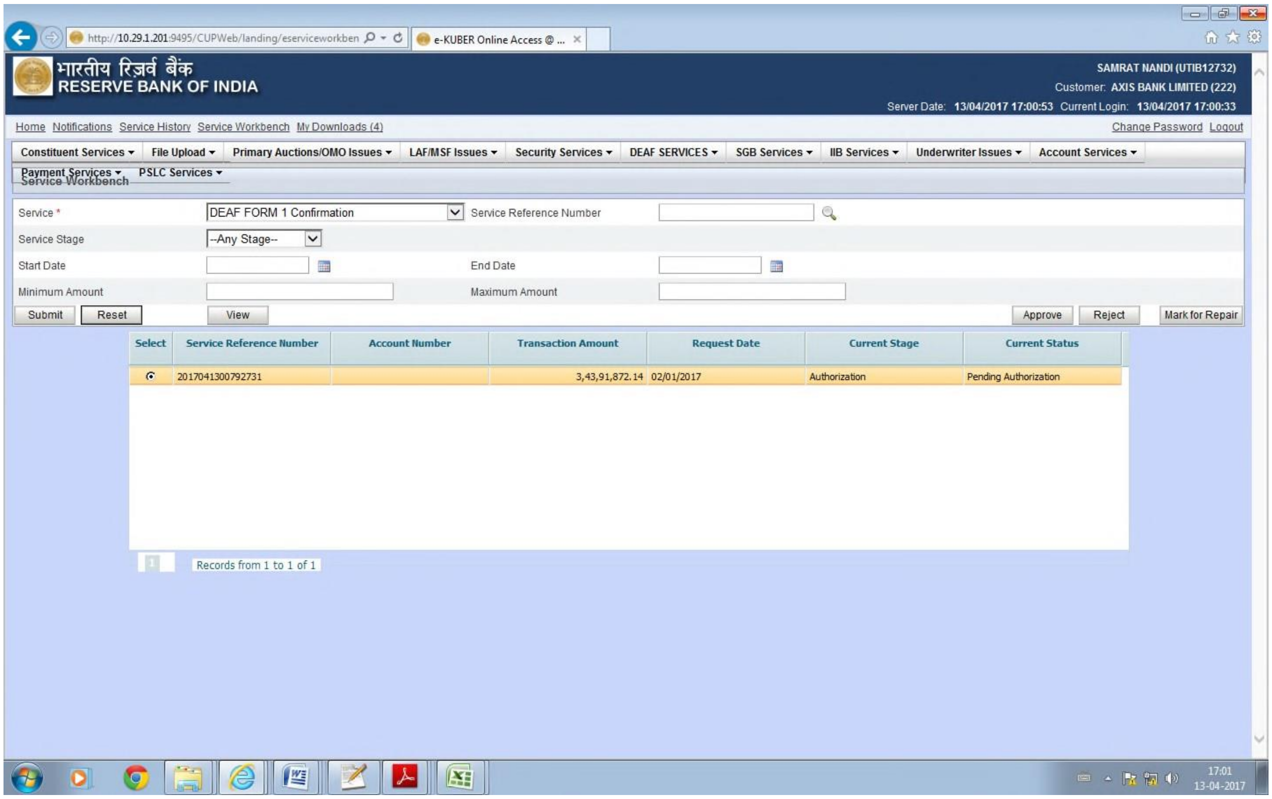

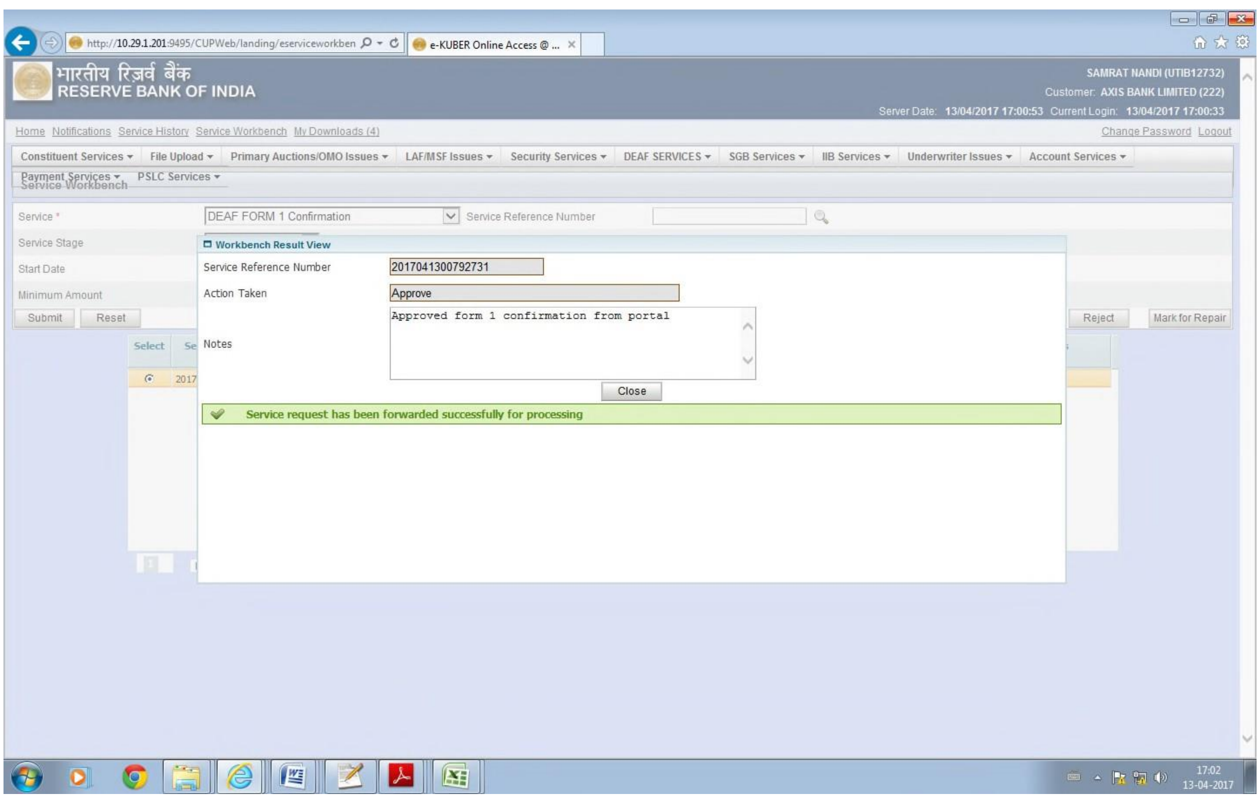

4. पोर्टल के माध्यम से डीईए निधि रिफंड दावा:

(सदस्य बैंक पोर्टल के माध्यम से रिफंड दावा अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित बैंक पोर्टल में दावा तभी प्रस्तुत कर सकेगा जब उस बैंक का नवीनतम बोर्ड संकल्प और सभी पिछले सही फॉर्म। (पूर्ववर्ती फॉर्म। और II) डीईए निधि कक्ष को प्राप्त हुए हों। सिस्टम प्रत्येक जमा शीर्ष अर्थात आईबी, एनआईबी और ओटीएच के अंतर्गत बकाया शेष से अधिक दावा करने की अनुमति नहीं देगा।)

- पोर्टल पर 'DEA Fund Services' में " DEA Fund Claim" पर जाएं
- डीईए फंड कोड दर्ज करें।
- उपयुक्त जमा श्रेणी (आईबी/एनआईबी/ओटीएच - बड़े अक्षरों में) दर्ज करें। फिर मूल दावा राशि (और आईबी के मामले में ब्याज) और खातों की संख्या दर्ज करें और 'ADD' पर क्लिक करें।

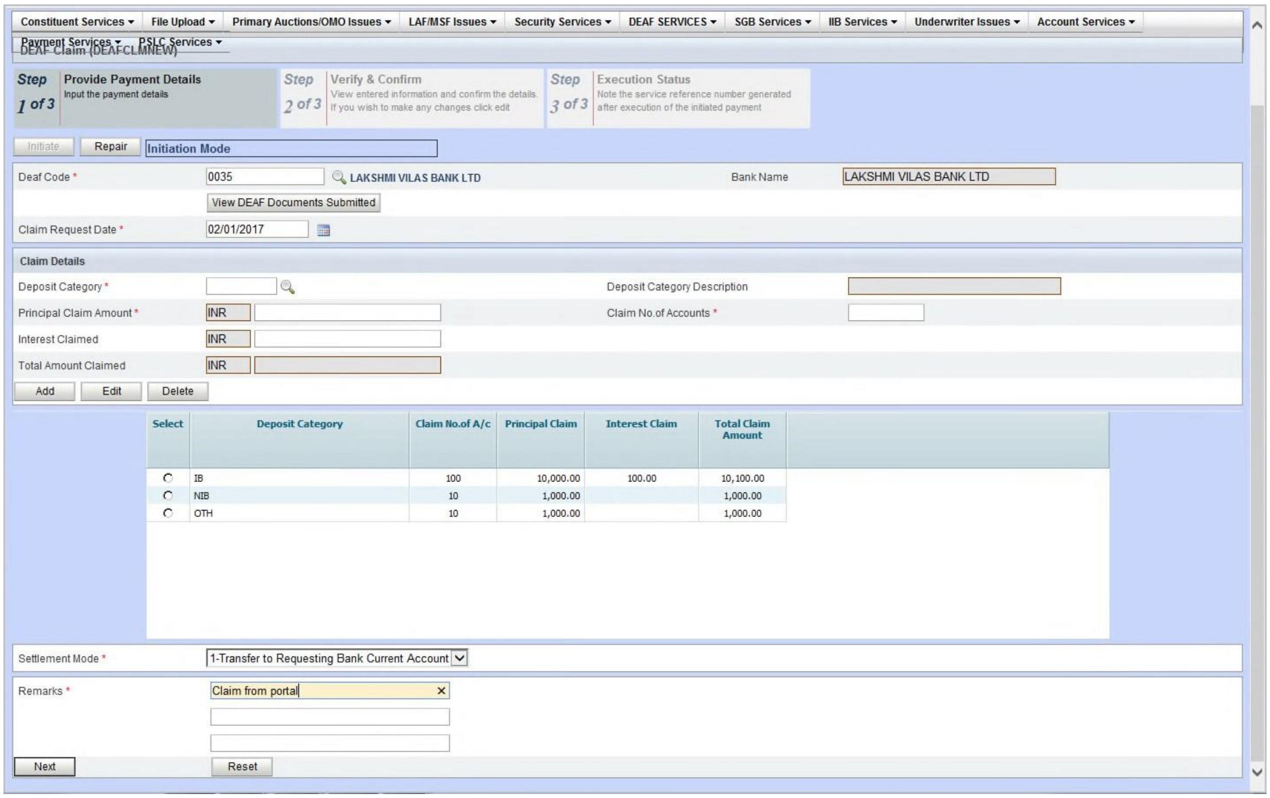

• "Next" पर क्लिक करें और फिर "Confirm", एक संदर्भ संख्या उत्पन्न होगी

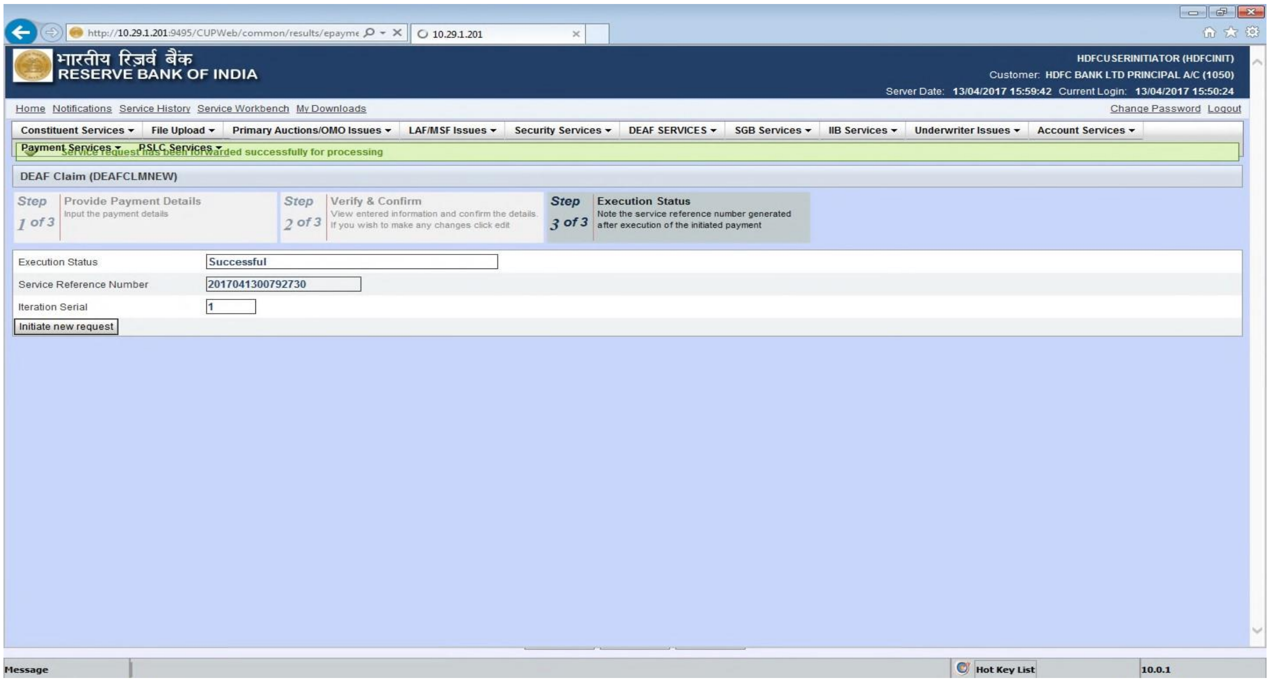

• **चेकर** (सदस्य बैंक से) को डीईए फंड क्लेम को अधिकृत करने की आवश्यकता होगी।

• " Service Workbench" पर जाएं - > " Service" के तहत ड्रॉप डाउन से " DEA Fund Claim " चुनें और फिर " View " पर क्लिक करें। यदि दर्ज किए गए विवरण सही हैं, तो दृश्य को बंद करें और " Approve " और फिर " Process " पर क्लिक करें।

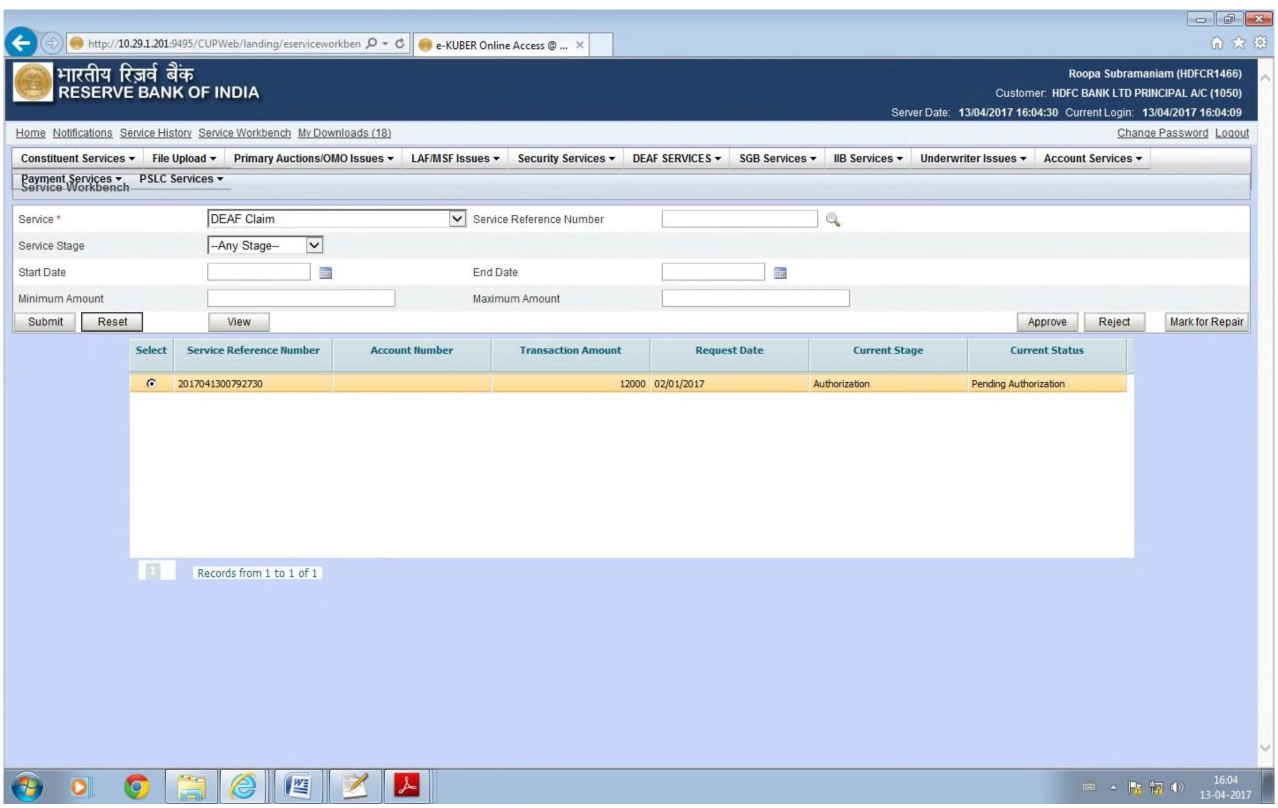

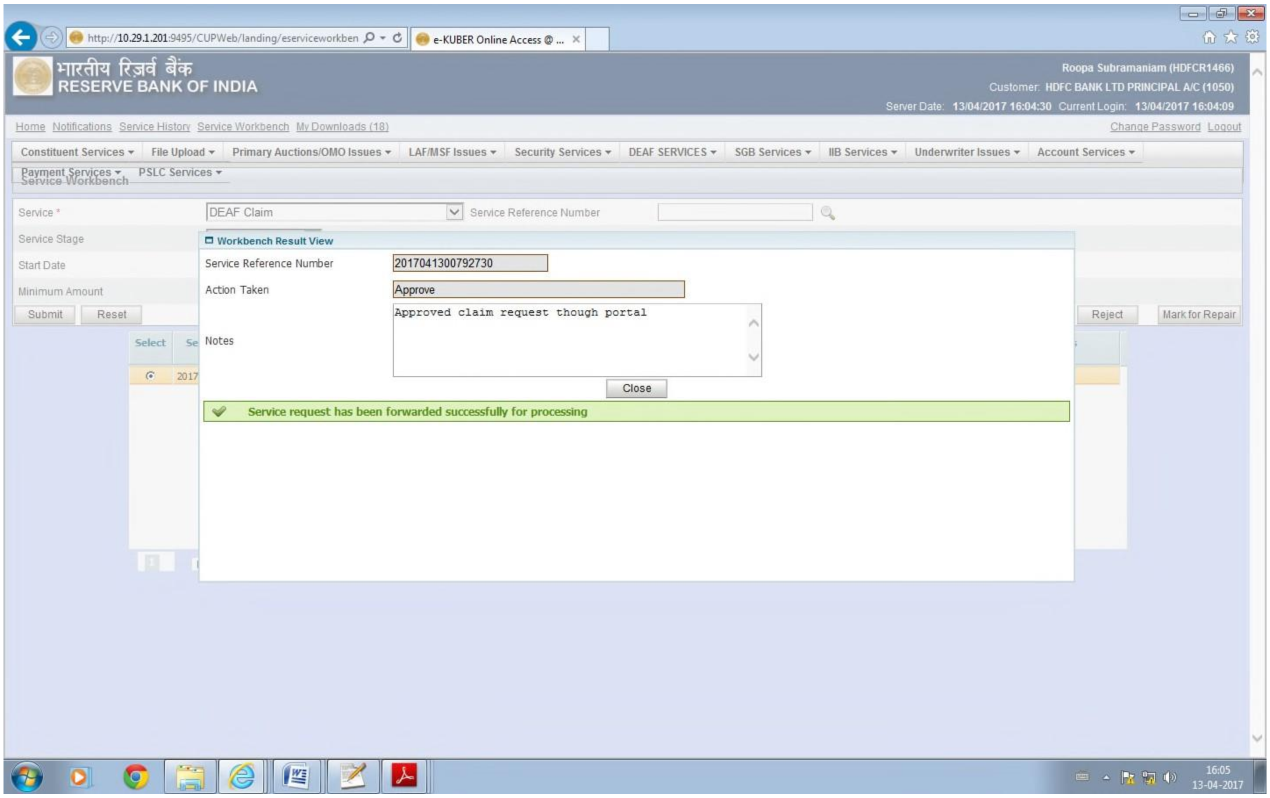

प्राधिकरण की स्थिति की जांच करने के लिए service history -> पर जाएं

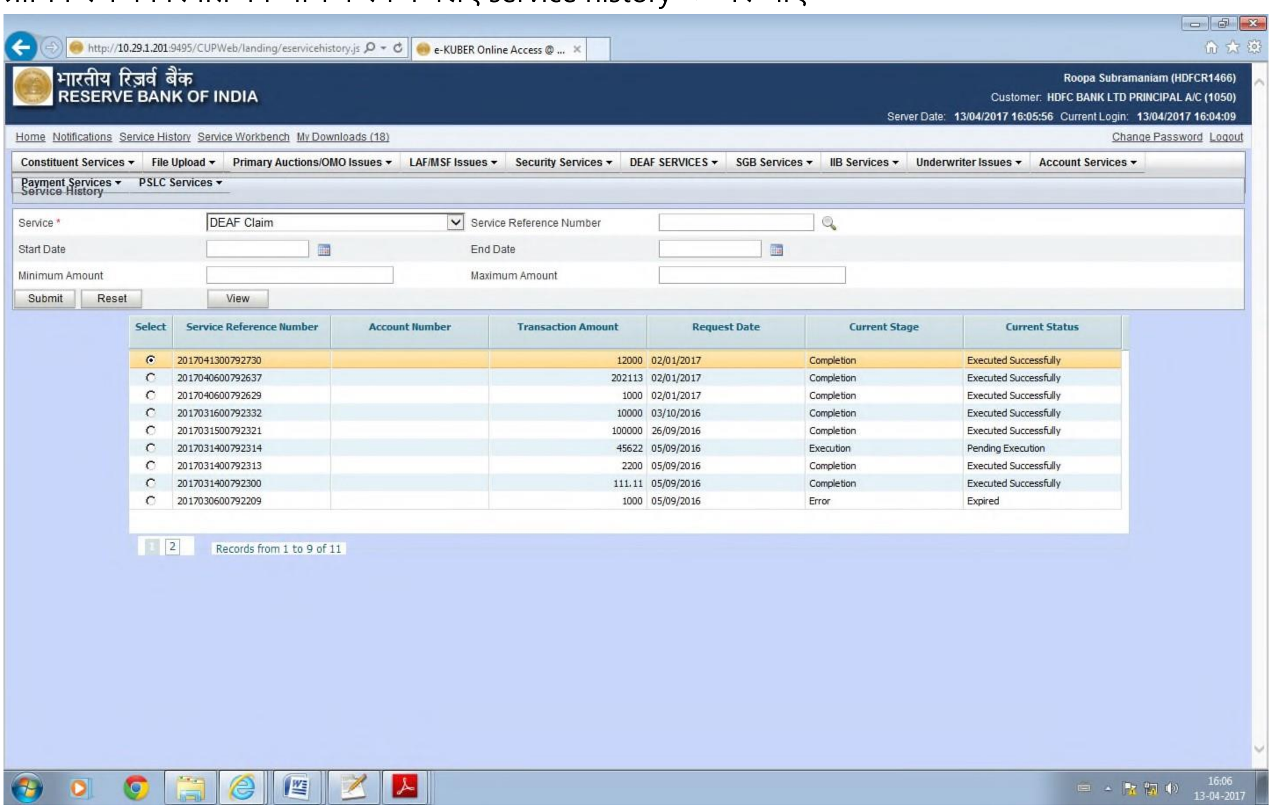

4.2 माय डाउनलोड - फॉर्म II का जनरेशन (My Downloads)

- “My Downloads” पर जाएं और “Report code” के तहत “DEA Fund Form II” " चुनें। lookup (Magnifying glass) पर क्लिक करें और DEA Fund in textbox टाइप करें और फिर “Go” पर क्लिक करें। प्रदर्शित सूची से DEA Fund Form II (Erstwhile Form-III) का चयन करें। फिर " View " पर क्लिक करें और विशेष प्रविष्टि का चयन करें।

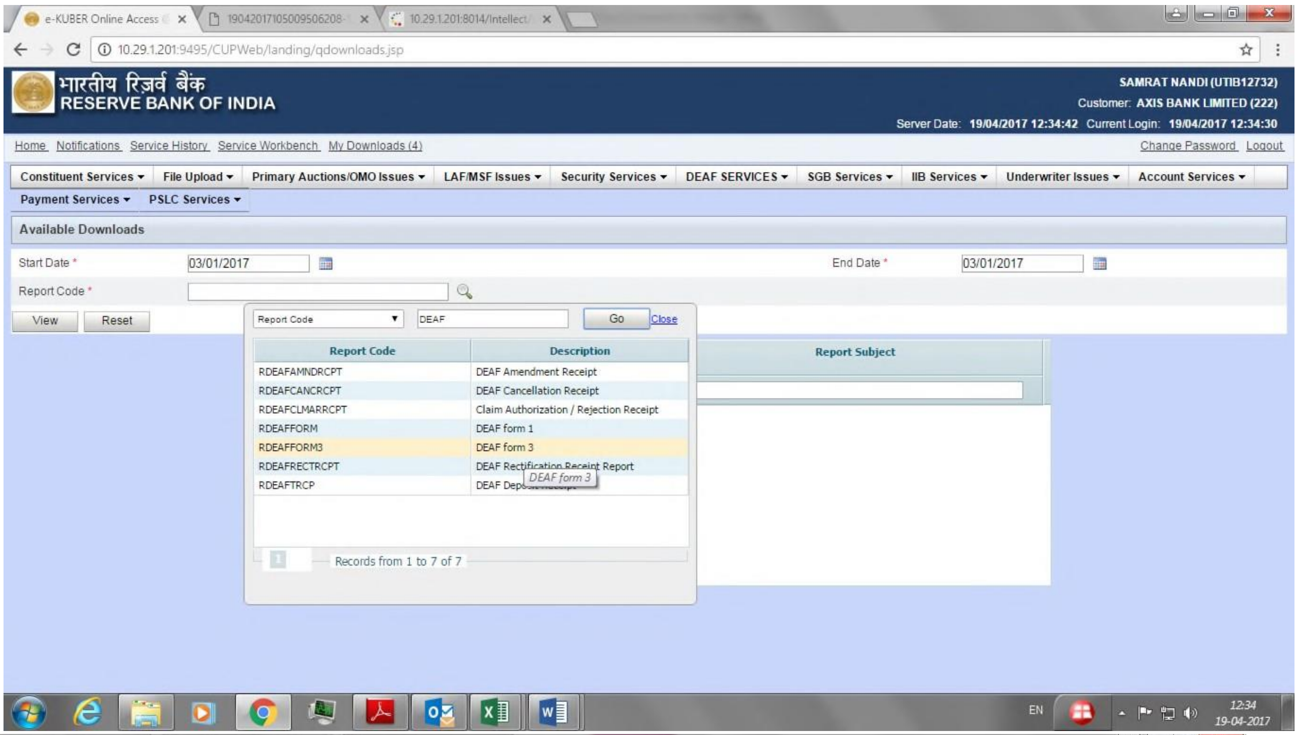

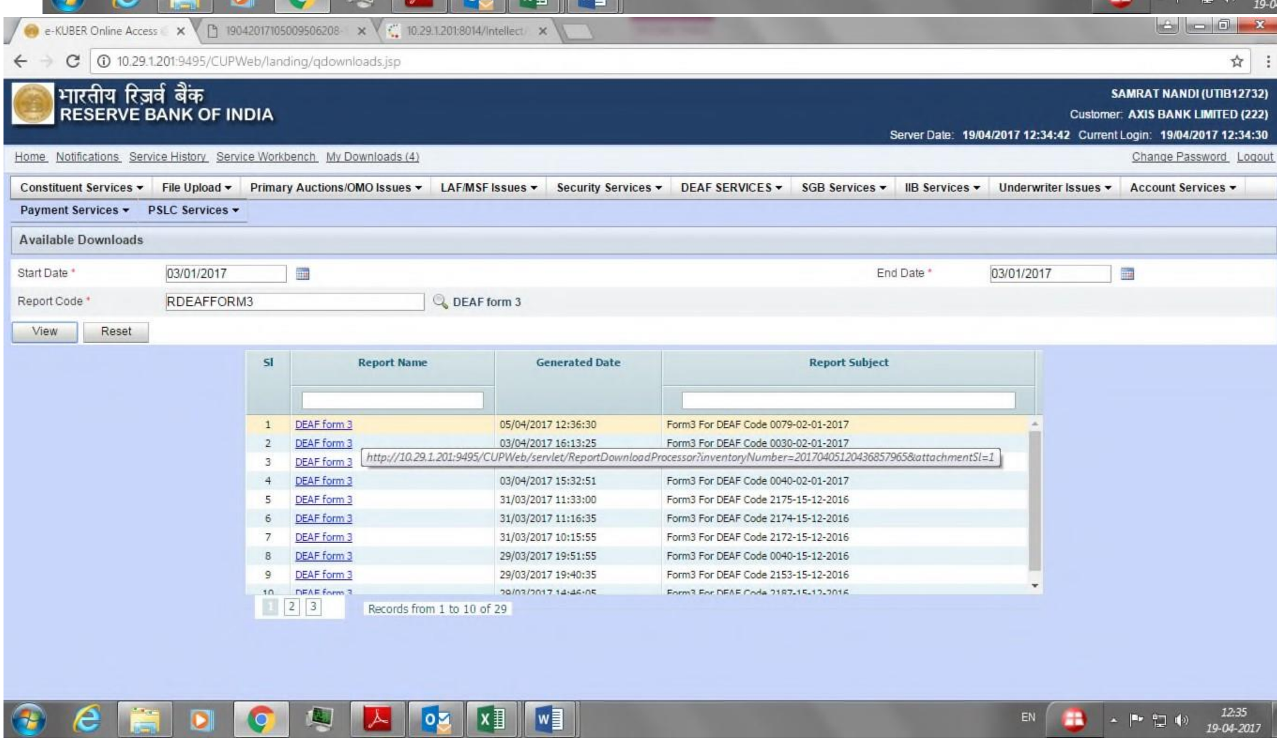

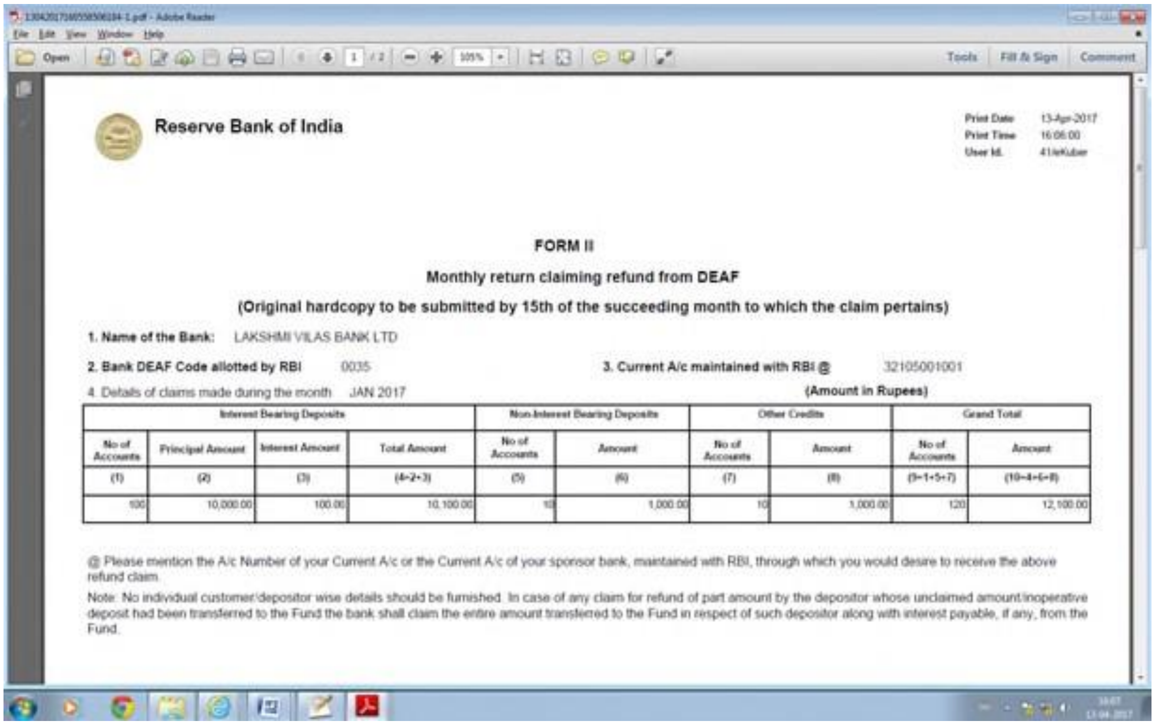

Reserve Bank of India

Print Date 13-Apr-2017
Print Time 16:06:00
User Id. 41/eKuber

FORM II

Monthly return claiming refund from DEAF

(Original hardcopy to be submitted by 15th of the succeeding month to which the claim pertains)

1. Name of the Bank: LAKSHMI VILAS BANK LTD

2. Bank DEAF Code allotted by RBI 0035 **3. Current A/c maintained with RBI @** 32105001001

4. Details of claims made during the month JAN 2017 **(Amount in Rupees)**

Interest Bearing Deposits				Non-Interest Bearing Deposits		Other Credits		Grand Total	
No of Accounts	Principal Amount	Interest Amount	Total Amount	No of Accounts	Amount	No of Accounts	Amount	No of Accounts	Amount
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=1+5+7)	(10=4+6+8)
100	10,000.00	100.00	10,100.00	10	1,000.00	10	1,000.00	120	12,100.00

@ Please mention the A/c Number of your Current A/c or the Current A/c of your sponsor bank, maintained with RBI, through which you would desire to receive the above refund claim.

Note: No individual customer/depositor wise details should be furnished. In case of any claim for refund of part amount by the depositor whose unclaimed amount/inoperative deposit had been transferred to the Fund the bank shall claim the entire amount transferred to the Fund in respect of such depositor along with interest payable, if any, from the Fund.

4.3 फॉर्म ॥ - ईमेल अधिसूचना

• फॉर्म ॥ जनरेट होने के बाद सभी बैंकों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक ईमेल अधिसूचना भेजी जाएगी।

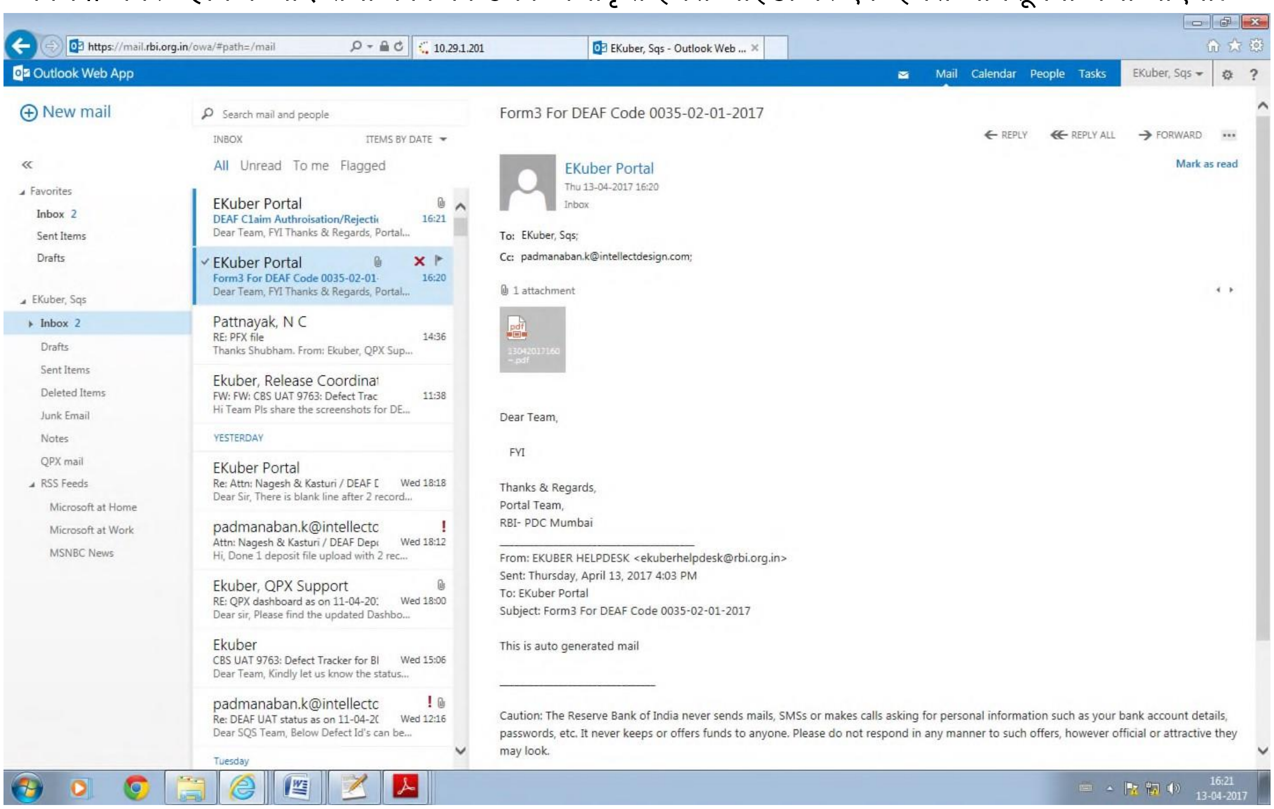

Form3 For DEAF Code 0035-02-01-2017

EKuber Portal
Thu 13-04-2017 16:20
Inbox

To: EKuber, Sqs;
Cc: padmanaban.k@intellectdesign.com;

1 attachment

Dear Team,

FYI

Thanks & Regards,
Portal Team,
RBI- PDC Mumbai

From: EKUBER HELPDESK <ekuberhelpdesk@rbi.org.in>
Sent: Thursday, April 13, 2017 4:03 PM
To: EKuber Portal
Subject: Form3 For DEAF Code 0035-02-01-2017

This is auto generated mail

Caution: The Reserve Bank of India never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information such as your bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers, however official or attractive they may look.

4.4 दावा प्राधिकरण/अस्वीकृति रसीद

- " My Downloads" पर जाएं और "Report code" के तहत "Claim Authorization / Rejection receipt" चुनें। lookup (Magnifying glass) पर क्लिक करें और टेक्स्टबॉक्स में DEA Fund टाइप करें और फिर "Go" पर क्लिक करें। एक सूची प्रदर्शित की जाएगी। प्रदर्शित सूची से दावा प्राधिकरण/अस्वीकृति रसीद का चयन करें। फिर view पर क्लिक करें और विशेष प्रविष्टि का चयन करें। (रसीद जनरेशन इस बात पर निर्भर करेगी कि उस विशेष प्रविष्टि के लिए डीईए निधि कक्ष द्वारा दावा स्वीकार या अस्वीकार किया गया है या नहीं)

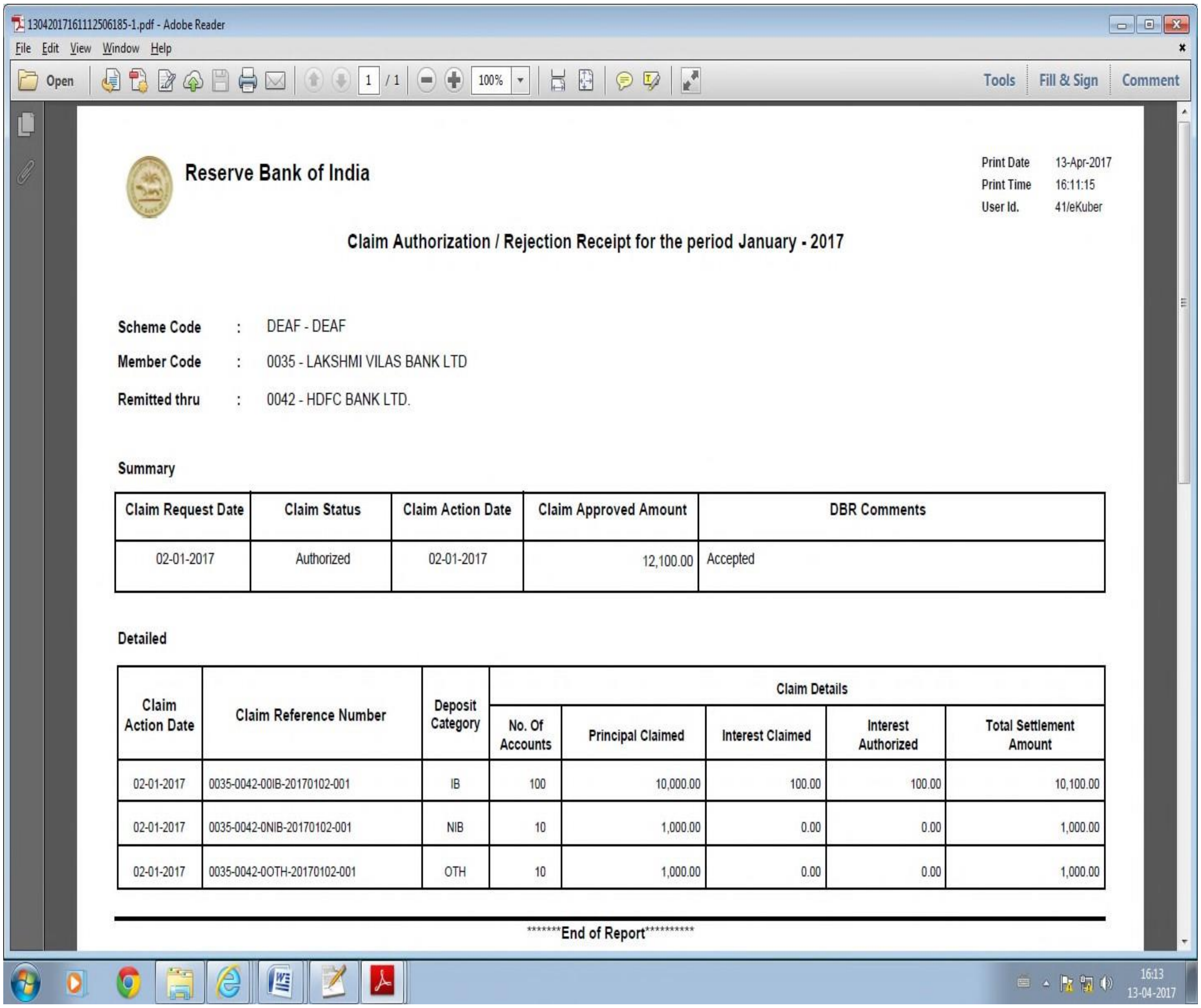

Reserve Bank of India

Print Date 13-Apr-2017
Print Time 16:11:15
User Id. 41/eKuber

Claim Authorization / Rejection Receipt for the period January - 2017

Scheme Code : DEAF - DEAF
Member Code : 0035 - LAKSHMI VILAS BANK LTD
Remitted thru : 0042 - HDFC BANK LTD.

Summary

Claim Request Date	Claim Status	Claim Action Date	Claim Approved Amount	DBR Comments
02-01-2017	Authorized	02-01-2017	12,100.00	Accepted

Detailed

Claim Action Date	Claim Reference Number	Deposit Category	Claim Details				
			No. Of Accounts	Principal Claimed	Interest Claimed	Interest Authorized	Total Settlement Amount
02-01-2017	0035-0042-00IB-20170102-001	IB	100	10,000.00	100.00	100.00	10,100.00
02-01-2017	0035-0042-0NIB-20170102-001	NIB	10	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
02-01-2017	0035-0042-0OTH-20170102-001	OTH	10	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

*******End of Report**********

4.5 Claim authorization/rejection receipt - ईमेल अधिसूचना

- सभी बैंकों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर "Claim authorization/rejection receipt" के लिए एक ईमेल अधिसूचना भेजी जाएगी।

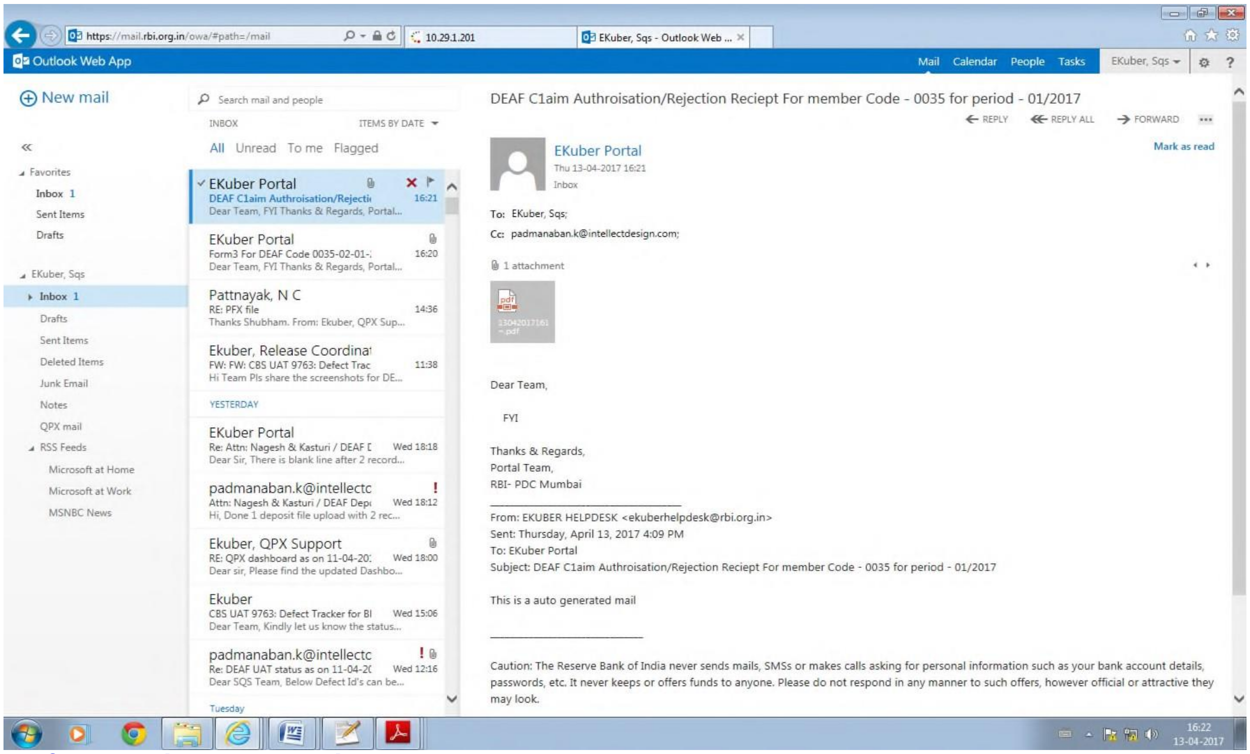

4.6 डीईए फंड क्लेम की स्थिति के लिए पूछताछ

- क्लेम अनुरोध की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, सदस्य बैंक " DEA Fund Services " पर जा सकते हैं और ड्रॉपडाउन से "Query for DEA Fund claim status" चुन सकते हैं
  - बैंक के डीईए फंड कोड और उस तिथि सीमा का चयन करें जिसके लिए क्वेरी संबंधित है और फिर प्रविष्टि का चयन करें और on View DEA Fund status details देखें पर क्लिक करें।

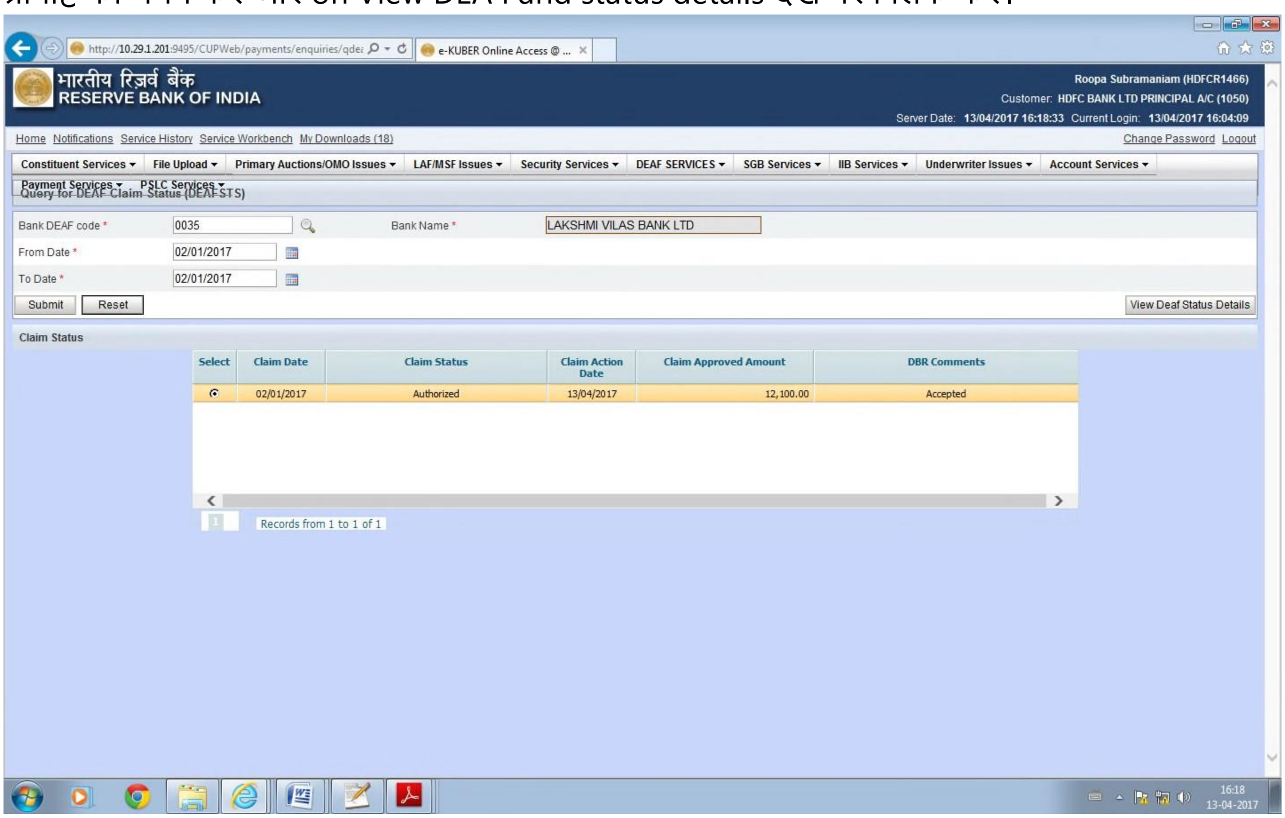

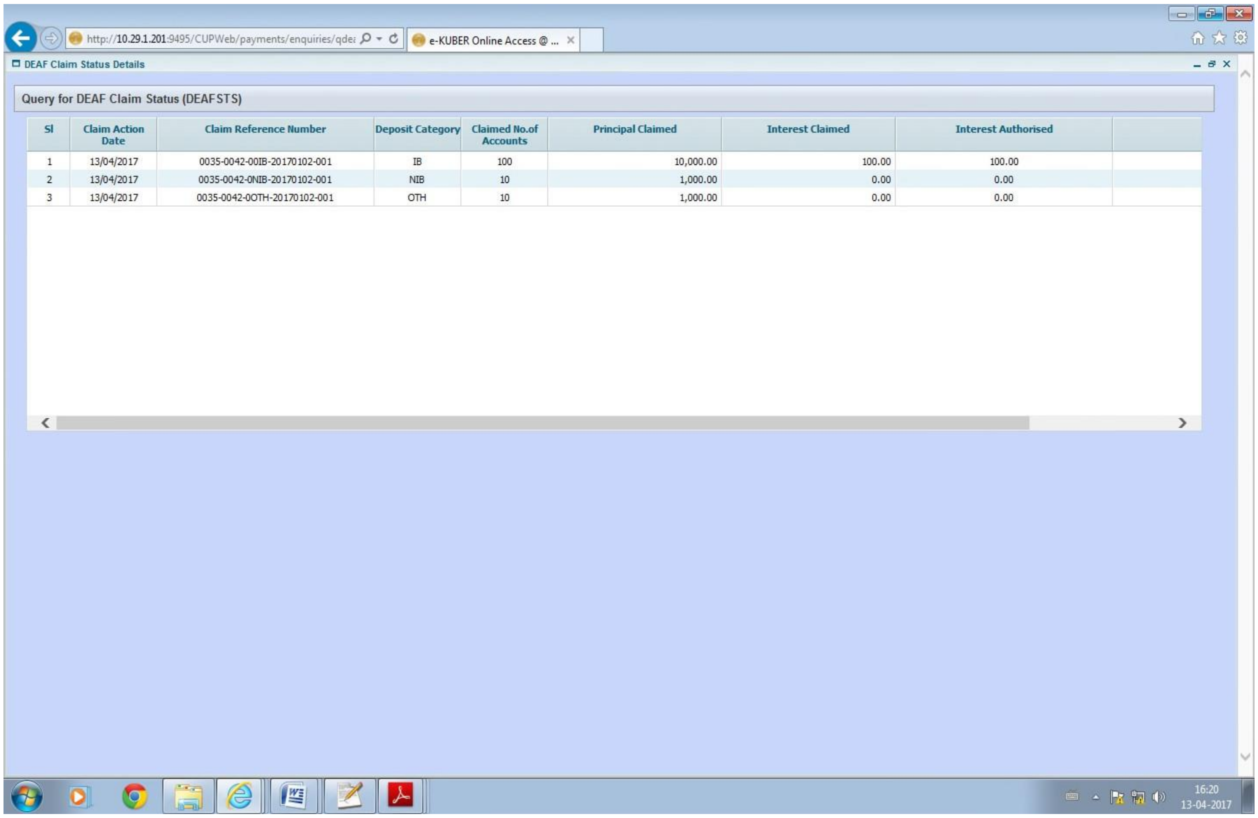

Query for DEAF Claim Status (DEAFSTS)

Sl	Claim Action Date	Claim Reference Number	Deposit Category	Claimed No.of Accounts	Principal Claimed	Interest Claimed	Interest Authorised
1	13/04/2017	0035-0042-00IB-20170102-001	IB	100	10,000.00	100.00	100.00
2	13/04/2017	0035-0042-0NIB-20170102-001	NIB	10	1,000.00	0.00	0.00
3	13/04/2017	0035-0042-0OTH-20170102-001	OTH	10	1,000.00	0.00	0.00

अनुलग्नक 3

फॉर्म I

भारत में अदावाकृत जमाराशियां/क्रेडिट/ खातें, जिनका परिचालन नहीं किया गया है/रिटर्न की तारीख को 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है और जिन्हें डीईए निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है, का मासिक रिटर्न। **(अगले माह की 15 तारीख तक भारतीय रिज़र्व बैंक को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है)**

बैंक का नाम ____________________________
आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईए निधि कोड ____________________________

यदि प्रायोजक बैंक के माध्यम से प्रेषित किया गया हो, तो
प्रायोजक बैंक का नाम __________________________
माह ______ वर्ष _______

निधि के अंतरण की तारीख ___________________

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	ब्याज वाली जमाराशियां		ब्याज-रहित जमाराशियां		अन्य क्रेडिट (ब्याज-रहित)		कुल	
		(ए)		(बी)		(सी)		(डी)=(ए)+(बी)+(सी)	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	महीने के आरंभ में निधि में अंतरित किए गए खातों का प्रारंभिक शेष।								
2	खातों में समायोजन, यदि कोई हो, जो पूर्व में गलत रिपोर्ट किया गया था और इस माह के दौरान सुधारा गया (सही और गलत आंकड़ों का निवल योग)।								
3	इस माह के दौरान निधि में अंतरित खाते। (पिछले माह में भूलवश छोड़े गए तथा इस माह के दौरान अंतरित किए गए खातों सहित, यदि कोई हों)								

4	इस माह के दौरान निधि से निपटाए गए दावे और प्राप्त रिफ़ंड (केवल मूल राशि का उल्लेख किया जाना है)।								
5	माह के दौरान निधि में अंतरित की गई निवल राशि। (**2 +3 - 4)**								
6	......(माह) 20...... के अंत में निधि में कुल राशि **(1+5)**								

हस्ताक्षर:
नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):
टेलीफोन नंबर:
स्थान:
तारीख:

प्रमाणपत्र – उपर्युक्त विवरण बैंक के रिकार्ड के अनुसार सत्य हैं और मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं तथा सही पाए गए हैं।

हस्ताक्षर:
समवर्ती लेखा परीक्षक का नाम (मुहर सहित):
पता:

अनुलग्नक 4

<u>फार्म II</u>

<u>डीईए निधि से धन वापसी का दावा करने वाली मासिक विवरणी</u>

(मूल हार्डकॉपी दावे से संबंधित अगले महीने की 15 तारीख तक जमा की जानी है)

1. बैंक का नाम:

2. आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईए निधि कोड -------------------------- **3. आरबीआई के पास चालू खाता @ -----------------------------**

4. माह_____20__ के दौरान किए गए दावों का विवरण **(राशि रुपए में)**

ब्याज वाली जमाराशियाँ				**गैर-ब्याज जमा धारित**		**अन्य क्रेडिट**		**कुल योग**	
खातों की संख्या	**मूल धन**	**ब्याज राशि**	**कुल राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**	**खातों की संख्या**	**राशि**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4=2+3)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9=1+5+7)**	**(10=4+6+8)**
कुल	**कुल**	**कुल**	**कुल**	**कुल**	**कुल**	**कुल**	**कुल**	**कुल**	**कुल**

@ कृपया अपने वर्तमान खाते की खाता संख्या या आरबीआई के पास रखे गए अपने प्रायोजक बैंक के वर्तमान खाते का उल्लेख करें, जिसके माध्यम से आप उक्त धन वापसी दावा प्राप्त करना चाहते हैं।

नोट-. कोई व्यक्तिगत ग्राहक/जमाकर्तावार विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। जमाकर्ता द्वारा आंशिक राशि की वापसी के लिए किसी भी दावे के मामले में, जिसकी अदावी राशि/निष्क्रिय जमा को निधि में अंतरित कर दिया गया था, बैंक ऐसे जमाकर्ता के संबंध में निधि से देय ब्याज, यदि कोई हो, के साथ निधि में अंतरित पूरी राशि का दावा करेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दावे पहले डीईए निधि से नहीं किए गए हैं या प्राप्त नहीं किए गए हैं।

हस्ताक्षर:
प्रथम प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):
स्थान: **दिनांक**:

हस्ताक्षर:
दूसरे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

प्रमाणपत्र - ऊपर दिए गए विवरण बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार सत्य हैं और मेरे द्वारा सत्यापित और सही पाए गए हैं।

हस्ताक्षर:
समवर्ती लेखा परीक्षक का नाम (स्टाम्प सहित):
पता:
स्थान: **दिनांक**:

फार्म III

मार्च/सितंबर को समाप्त छमाही के लिए शेष राशि के समाधान का प्रमाण पत्र

(कृपया ए1 या ए2 प्रमाणित करें और जो भी लागू न हो उसे काट दें)

बैंक का नाम ____________

आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईए निधि कोड _________

ए. बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र

1. **यदि शेष राशि बराबर हैं**

   हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा डीईए निधि में अंतरित अदावी जमाराशियों की शेष राशि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत जैसाकि बैंक के सामान्य लेजर में दर्शाया गया है, डीईए निधि अनुभाग के साथ अनुरक्षित शेष राशि से मेल खाती है जैसा कि 30-06........ या 31-12-........ को आरबीआई के डीईए निधि मॉड्यूल से सृजित फॉर्म I में दर्शाया गया है-

2. **यदि शेष राशि का मिलान नहीं होता है**

   हमने पाया है कि 30-06-........ या 31-12-........ को बैंक के सामान्य लेजर में दिखाए गए अनुसार अदावी जमाराशियों का शेष ₹........ है, 30-06-........ या 31-12-........ की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के डीईए निधि मॉड्यूल से सृजित फॉर्म 1 में दर्शाए अनुसार डीईए निधि अनुभाग में रखे गए शेष में दर्शाए गए अनुसार अदावी जमाराशियों का शेष है।

   हमने अंतर को सुलझाने के लिए कदम उठाए हैं और जल्द ही आरबीआई को अपडेट करेंगे।

हस्ताक्षर
नाम
पद का नाम
स्थान

हस्ताक्षर
नाम
पद का नाम
स्थान

बी. बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र:

ऊपर दिए गए विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार सही पाए गए हैं।

हस्ताक्षर:
समवर्ती लेखा परीक्षक का नाम (स्टाम्प सहित):
पता:

स्थान:
दिनांक: